राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष सिविल रिट याचिका संख्या 987/2021

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 356/2017

1. राजस्थान राज्य-प्रमुख सचिव (खान), खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।

----अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3.

बनाम

1. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, इकाई: कोटपूतली सीमेंट वर्क्स ग्राम मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, इसके संयुक्त कार्यकारी अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर पांडे के माध्यम से।

-----प्रत्यर्थी/याचिकाकर्ता

2. भारत संघ, सचिव, खान मंत्रालय, खान विभाग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1

अपीलार्थीगण की ओर से	:	सुश्री शीतल मिर्धा अतिरिक्त महाधिवक्ता की सहायता श्री प्रतीक सिंह अधिवक्ता ने की
प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	श्री के.के. शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सुश्री अलंकृता शर्मा अधिवक्ता, श्री मधुसूदन सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता, श्री प्रशांत शिवराजन अधिवक्ता, श्री रोहन तलवार अधिवक्ता, श्री तुषार सहगल अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, श्री मोलिक पुरोहित

अधिवक्ता, श्री राहुल यदुवंशी अधिवक्ता,

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति शुभा मेहता

निर्णय

रिपोर्टेबल

31/01/2023

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

1. यह अपील सिविल रिट याचिका संख्या 356/2017 में एकलपीठ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 के विरुद्ध निर्देशित है।, जिसके तहत, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई है और एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-राज्य को प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा निष्पादित करने का निर्देश दिया है। कंपनी और सहायक निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को कब्ज़ा सौंपने का भी निर्देश दिया।

2. प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में खनन पट्टे के निष्पादन के मामले में अपीलार्थीगण की ओर से निष्क्रियता/इनकार से व्यथित होकर रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता एक निगमित कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'कंपनी अधिनियम 1956' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है और मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्तराधिकारी है। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार 18.05.2010 को हुई व्यवस्था (डिमर्जर) की एक योजना के तहत, मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अधिनियम 1956 की धारा 391 और 394 के अनुसार मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड का संपूर्ण सीमेंट व्यवसाय ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स कंपनी समृद्धि सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। डिमर्जर की इस योजना को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बीच समामेलन की योजना पर हस्ताक्षर किए

गए।, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। स्वीकृत समामेलन योजना के संदर्भ में, भूमि, खनन पट्टा और आशय-पत्र (एलओआई) सहित सभी संपत्तियां, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया था, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (रिट याचिकाकर्ता) के पक्ष में स्थानांतरित और निहित हो गईं।

3. आगे कहा गया कि राज्य सरकार ने 1.0 एमटीपीए क्षमता के साथ सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए खनन पट्टा देने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 (इसके बाद '1960 के नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने आवेदन दिनांक 05.06.2007 के माध्यम से खनन पट्टा देने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, जिसके अनुसरण में, राज्य सरकार ने 10.10.2007 को एक आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जिसमें चार शर्तें शामिल थीं जो पर्यावरण मंजूरी से संबंधित थीं। खनन योजना, भूमि मालिक से सहमति पत्र और वन विभाग से एनओसी जमा करना। आशय-पत्र को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया। वन विभाग ने 11.08.2008 को एनओसी प्रदान की और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी भी 06.05.2010 को प्रदान की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने पहले ही खनन योजना प्रस्तुत कर दी थी, जिसे 22.12.2008 को मंजूरी दे दी गई थी।

प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, आशय-पत्र को 03.12.2010 को तीन शर्तों पर 30.09.2011 तक बढ़ा दिया गया था, अर्थात् संयंत्र की क्षमता 3 एमटीपीए से 4 एमटीपीए तक बढ़ाना, उत्सुकता राशि जमा करना और मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बीच हुए समामेलन के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान करना। इसके अलावा, समामेलन की योजना की मंजूरी के मद्देनजर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड।, नाम बदलने के संबंध में एलओआई में शर्त भी लगाई गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने खनन पट्टा देने के लिए 07.07.2010 को निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग को एक पत्र लिखा। चूँकि सभी अनुपालन किए जा चुके थे, सहायक खनन अभियंता ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने की सिफारिश की। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट

याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, एलओआई को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था। अंततः, दिनांक 11.12.2014 के पत्र द्वारा इसे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने सभी औपचारिकताओं के साथ पट्टा देने के लिए आवेदन किया था और खनन पट्टा देने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा पत्र भी लिखा जा रहा था, इसे बिना किसी उचित कारण के अवैध रूप से रोक दिया गया था।

4. खनन पट्टे के निष्पादन न होने से व्यथित, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आवेदित क्षेत्र के संबंध में अपने पक्ष में खनन पट्टे के निष्पादन के लिए निर्देश देने की मांग की।

5. अपीलार्थीगण (रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3) द्वारा दायर उत्तर में, यह कहा गया था कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'एमएमडीआर अधिनियम) में संशोधन के मद्देनजर ') 2015 के संशोधन अधिनियम संख्या 10 के तहत, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा खनन पट्टा देने के साथ-साथ उसे जारी किए गए एलओआई के लिए प्रस्तुत आवेदन नए संशोधित प्रावधान के तहत सूर्यास्त खंड के मद्देनजर स्वचालित रूप से समाप्त हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत का विरोध करने का अन्य मुख्य आधार यह था कि कुल 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1.38 हेक्टेयर भूमि का एक हिस्सा एलओआई के तहत कवर किया गया था और जिसके संबंध में, पट्टा देने के लिए आवेदन किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई, राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह (चारागाह) भूमि के रूप में दर्ज है और इसलिए, **जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2011) 11 एससीसी 396** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, जिसपर अपीलार्थीगण द्वारा भी भरोसा किया गया था, राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार, उस भूमि पर कोई खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता था, जिसे चरागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्र, जो 11.01.2017 तक लागू रहे, जिस तारीख को, सूर्यास्त खंड के संचालन से, खनन पट्टे और एलओआई के अनुदान के लिए आवेदन कथित तौर पर समाप्त हो गया था।

6. अपीलार्थीगण का यह भी मामला था कि आशय-पत्र में उल्लिखित चार शर्तों को पूरा करने के अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को अन्य सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक था, विशेष रूप से खनन पट्टा क्षेत्र से चरागाह भूमि को बाहर करने से संबंधित शर्त. हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.05.2016 के माध्यम से चरागाह भूमि के क्षेत्र को खनन क्षेत्र से बाहर करने से इनकार कर दिया। अपीलार्थीगण का मामला था कि समय-समय पर संशोधित राजस्थान किरायेदारी (सरकारी) नियम, 1955 (इसके बाद '1955 के नियम' के रूप में संदर्भित) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, इसे नए में प्रदान किया गया था। 1955 के नियमों के नियम 7 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चारागाह भूमि को खनन प्रयोजनों के लिए सवाई चक के रूप में नहीं बदला जाएगा और अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब इच्छुक आवेदक खातेदारी भूमि के बराबर क्षेत्र को राज्य सरकार के पक्ष में उसी या आस-पास के गाँव में समर्पित कर दे। हालाँकि, उक्त संशोधन लागू होने से पहले, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 ए के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर आवेदन रद्द हो गया था।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने भी समानता के आधार पर राहत का दावा करते हुए कहा कि वंडर सीमेंट और श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत खनन पट्टे के आवेदन के मामलों से संबंधित समान मामलों में, इस न्यायालय ने उनकी रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी। चारागाह भूमि को छोड़कर खनन पट्टा देने का निर्देश दिया गया और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता भी उसी राहत का पात्र था।

8. दिनांक 01.09.2021 के आक्षेपित आदेश के तहत, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत अधिसूचना दिनांक 20.03.2021 के माध्यम से किया गया संशोधन उन मामलों को कवर नहीं करेगा जहां आवेदन भी किए गए थे और एलओआई बहुत पहले जारी किए गए थे।

इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी विचार किया कि मेसर्स वंडर सीमेंट को निर्देश दिया कि चारागाह भूमि के रूप में दर्ज 40.62 हेक्टेयर भूमि को बाहर

रखा जाए और भूमि के शेष हिस्से के लिए पट्टा दिया जाए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि श्री सीमेंट लिमिटेड के मामले में भी इसी तरह का मुद्दा विचार के लिए उठा था और चारागाह भूमि को बाहर करने का निर्देश देकर पट्टा प्रदान किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे देखा कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने स्टांप शुल्क भी जमा किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि समामेलन के मामले में उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में विशेष रूप से एलओआई को एक परिसंपत्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसे शीर्षक, हित और निवेश के अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया जाना है, जो मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट के पास निहित है। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता-कंपनी ने नाम परिवर्तन के संबंध में सरकार को सूचित किया, 1960 के नियमों के नियम 62 के अनुसार, यह माना गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता खनन पट्टा देने का पात्र था।

9. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि आशय-पत्र प्रारंभ में मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर जारी किया गया था। और इसे प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता, मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जो उत्तराधिकारी कंपनी है के पक्ष में स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सका। यह तर्क दिया गया है कि डिमर्जर/एकीकरण के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पास एलओआई का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार, एमएमडीआर अधिनियम में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों में एलओआई के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम में एलओआई के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। इसलिए, उस समय, जब खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया गया था, सूर्यास्त खंड के मद्देनजर इसकी स्वचालित अस्वीकृति तक, मेसर्स के पक्ष में एलओआई जारी किया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर दावा नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में एलओआई जारी किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि 1960 के नियमों का नियम 62 कंपनियों के डिमर्जर/एकीकरण और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के मामले में लागू नहीं होता है। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त नियम केवल सीमित परिस्थितियों में लागू होता है, जहां आवेदक या टोही

परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के धारक को उसके नाम में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचित करना होगा। प्रासंगिक प्रपत्रों में उल्लिखित राष्ट्रीयता या अन्य विवरण और इसी तरह जहां टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के धारक को अपने नाम, राष्ट्रीयता या अन्य विवरणों में किसी बदलाव की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामला केवल नाम, राष्ट्रीयता परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि यह डिमर्जर/एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक कंपनी की संपत्ति को दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने का मामला है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल स्टाम्प शुल्क का भुगतान उद्देश्य पर्याप्त नहीं होगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि एलओआई कोई संबंध नहीं बनाता क्योंकि यह कोई संपत्ति नहीं है। मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ एवं अन्य, रिट याचिका (सिविल) संख्या 17320/2006 का निर्णय 04.11.2009 को हुआ, के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है।

10. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की अगली दलील यह है कि एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन करने वाले 2015 के संशोधन अधिनियम संख्या 10 के माध्यम से नव सम्मिलित धारा 10 ए के मद्देनजर, खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के शुरू होने से पहले के सभी आवेदन, अपात्र हो जायेंगे। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, आवेदन लंबित रहा और प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए, आवेदन और एलओआई, यदि कोई हो, समाप्त हो गया। इस प्रकार, 11.01.2017 से प्रभावी सूर्यास्त खंड के संचालन के आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का अधिकार, यदि कोई हो, खनन पट्टा देने के लिए निर्देश मांगने का, अब मौजूद नहीं है और इसलिए, कोई परमादेश नहीं दिया जा सकता है राज्य को आवेदन और एलओआई के आधार पर लीज डीड निष्पादित करने का आदेश जारी किया जाए, जो अब कानून में वैध और क्रियाशील नहीं रह गया है।

11. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया था, जिसमें कुल क्षेत्रफल में शामिल 1.38 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह खुदाई भूमि भी

शामिल थी। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था जिसके तहत उसने कहा था कि वह एनओसी प्रस्तुत करेगा, लेकिन कोई एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई। जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के के साथ-साथ समय-समय पर राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्र, जिन्हें रिट याचिका और हलफनामों के उत्तर के साथ संलग्न किया गया है निर्णय को ध्यान में रखते हुए खनन पट्टा, चारागाह भूमि वाले क्षेत्र के संबंध में रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नहीं दिया जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने न तो राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त की, न ही चारागाह भूमि के क्षेत्र को खनन क्षेत्र से बाहर रखा। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.05.2016 के माध्यम से चारागाह भूमि को छोड़कर खनन क्षेत्र को कम करने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता, आज तक भी, राज्य के पक्ष में उसी गांव में खातेदारी भूमि के बराबर क्षेत्र को समर्पण करके 1955 के नियम 7 ए के तहत चारागाह भूमि को अलग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी प्रस्ताव या आवेदन को प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता किसी भी राहत का पात्र नहीं था।

12. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम एस. कुमार एसोसिएट्स एकेएम (जेवी), 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 486; राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महालक्ष्मी मिंगरेट मार्केटिंग सर्विस प्रा. लिमिटेड और अन्य, (1996) 10 एससीसी 405; जगपाल सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रा.); महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त और अन्य (2009) 10 एससीसी 123; श्री तारकेश्वर सियो ठाकुर जिउ बनाम डार दास डे एंड कंपनी और अन्य (1979) 3 एससीसी 106; कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम सुभाष रुक्मय्या गुट्टेदार एवं अन्य 1993 सप्प (3) एससीसी 290; एमएस जनरल रेडियो और उपकरण कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम एम.ए. खादर (मृत) एलआर द्वारा (1986) 2 एससीसी 656; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम नलवा संस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 586; मिहीर एच. मफतलाल बनाम मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1997) 1**

एससीसी 579; हिंदुस्तान लीवर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) 9 एससीसी 438; ग्राम पंचायत, ग्राम कानोंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, अपने सरपंच बनाम के माध्यम से। निदेशक, जोत समेकन, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य 1989 सप्लिमेंट (2) एससीसी 465; बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) उप-विभागीय अधिकारी बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (2019) 7 एससीसी 99; बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ बनाम एमएस पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर (1975) 4 एससीसी 22; सहायक आयुक्त, मूल्यांकन-द्वितीय, बैंगलोर और अन्य बनाम वेल्लियप्पा टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य (2003) 11 एससीसी 405 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

13. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का मामला मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 126/2017 दिनांक 23.08.2017 को निर्णय लिया गया) और श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट संख्या 128/2017 दिनांक 26.09.2018 को निर्णय लिया गया) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों से अलग है। उपरोक्त मामलों में याचिकाकर्तागण को राहत दी गई थी क्योंकि उन्होंने चरागाह भूमि को खनन क्षेत्र से बाहर कर दिया था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के मामले में, इसने खनन पट्टा क्षेत्र से चरागाह भूमि को कम करने से इनकार कर दिया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि एकल न्यायाधीश यह मानने में सही नहीं थे कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का मामला मैसर्स वंडर सीमेंट और श्री सीमेंट के समान था।

14. इसके विपरीत, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों के उत्तर में, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील दी कि रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में आशय-पत्र के हस्तांतरण के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता, जहां तक मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का संबंध है, राज्य ने पहली बार बाद में विचार किया है, जबकि रिट याचिका दायर करने तक किसी भी पत्र-व्यव्हार में राज्य ने कभी भी इस आधार पर खनन पट्टा देने से इनकार नहीं किया। वह आशय-पत्र शुरू में अलग हुई कंपनी अर्थात मैसर्स ग्रासिम

इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया था। मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के साथ व्यवस्था की योजना के तहत अपने विभाजन के बाद व्यपगत हो गई। मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड का मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ विलय हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने, समय-समय पर जारी किए गए पत्रों का हवाला देते हुए, आशय-पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने और विशेष रूप से पत्र दिनांक 03.12.2010 के बाद पत्र दिनांक 11.09.2014 सहित आशय-पत्र के आगे विस्तार का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि पत्र का विस्तार क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित डिमर्जर और समामेलन के संबंध में पूर्ण सूचना और जानकारी के साथ इरादा प्रदान किया जा रहा था। पत्र-व्यव्हार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता-कंपनी को उत्तराधिकारी कंपनी के रूप में स्वीकार कर लिया है और आशय-पत्र को बढ़ा दिया है। इसलिए, अब न्यायालय के समक्ष इस तरह का मुद्दा उठाना राज्य के लिए बुरा होगा। उनका कहना था कि राज्य को ऐसी कोई भी आपत्ति उठाने से रोका गया है।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आगे प्रस्तुतीकरण यह है कि न तो समय-समय पर संशोधित और प्रासंगिक अवधि के दौरान लागू एमएमडीआर अधिनियम के किसी भी प्रावधान, न ही 1960 के नियमों के नियम 37 में शामिल प्रावधान, न ही प्रावधान खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 (इसके बाद '2016 के नियम' के रूप में संदर्भित) में निहित नियम या विनियमन, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट के पक्ष में एलओआई के ऐसे क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों के आदेशों के तहत डिमर्जर और एकीकरण की विधिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप हस्तांतरण पर रोक लगाना तो दूर की बात है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एलओआई के हस्तांतरण को विनियमित करने वाला नियम पहली बार 2016 के नियमों में नियम 23 ए को 24.03.2021 से लागू करके वर्ष 2021 में बनाया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि खनन पट्टों के अनुदान के संबंध में एलओआई के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले विशेष कानून की अनुपस्थिति में, 1956 के कंपनी अधिनियम में निहित सामान्य आवेदन के प्रावधान प्रभावी रहेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 के प्रावधानों के साथ-साथ क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा पारित डिमर्जर आदेश और समामेलन आदेश और उसमें निहित विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया है

कि आवेदन या किसी अन्य हित सहित सभी संपत्तियां और देनदारियां अलग की गई और समामेलित कंपनी का हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित/निहित हो गया, जिसमें मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जारी एलओआई भी शामिल था।

16. 2015 के संशोधन अधिनियम संख्या 10 के माध्यम से प्रस्तुत की गई धारा 10 ए में निहित सूर्यास्त खंड के संचालन के कारण खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन समाप्त हो गया है और अयोग्य हो गया है, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट का मामला याचिकाकर्ता को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (2) के खंड (ग) के तहत बचाया गया है क्योंकि वर्तमान मामले में, खान और खनिज के शुरू होने से पहले खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आशय-पत्र जारी किया गया था।

17. खनन पट्टा देने के मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता की ओर से नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफलता के संबंध में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलील का उत्तर देते हुए, यह बड़े पैमाने पर तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने आशय-पत्र की सभी चार शर्तें पूरी कीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आशय-पत्र की शर्तें पूरी नहीं हुईं। 1960 के नियमों की योजना, खनन पट्टा देने के लिए आवेदन और आवेदन के निर्धारित प्रारूप का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि खनन कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो चारागाह के संबंध में किसी भी शपथपत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। केवल 1960 के नियमों के नियम 27 में उल्लिखित विभिन्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। 1960 के नियमों के नियम 27 का उप-नियम (एच) निषिद्ध क्षेत्रों में किसी भी खनन कार्य को करने या करने की अनुमति देने पर रोक लगाता है, हालांकि, इसमें चारागाह भूमि शामिल नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने एक वचन दिया और शपथ-पत्र प्रस्तुत किया कि वह चारागाह भूमि में कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी से एनओसी नहीं मिल जाती।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि खनन पट्टा देने के लिए आवेदन आमंत्रित

करने वाली अधिसूचना में चरागाह भूमि को छोड़कर 318.78 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि एलओआई के कई विस्तारों में भी, जो दिए गए थे, कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को चारागाह भूमि को बाहर करना चाहिए, हालांकि यह निर्देश देना राज्य अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में था कि खनन पट्टा चरागाह भूमि तक ही सीमित रखा जाए या बाहर रखा जाए। रिकॉर्ड पर सामग्री का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में, अतीत में, पूरा क्षेत्र 1981 से पहले से ही उत्खनन के अधीन था, जब वर्ष 1981 में किसी रामेश्वर बजाज के पक्ष में खनन पट्टा दिया गया था। उस पट्टे को फिर से स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1986 में 318 हेक्टेयर में शामिल किसी भी क्षेत्र को छोड़कर, नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर, उन पट्टों में से किसी में भी चारागाह भूमि को बाहर करने की कोई शर्त नहीं थी और इसलिए, 1981 के बाद से, तत्कालीन खनन पट्टाधारकों ने तथाकथित चारागाह भूमि सहित पूरे खनन क्षेत्र का पहले ही दोहन कर लिया था और वास्तव में, कोई भी चारागाह भूमि मौजूद नहीं है। संपूर्ण क्षेत्र और इसलिए, यही कारण है कि दिनांक 06.05.2010 के पत्र द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय दर्ज किया गया कि 318.78 हेक्टेयर के खनन पट्टा क्षेत्र में, परियोजना में कोई चारागाह भूमि शामिल नहीं है। यही कारण है कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना में कोई चारागाह भूमि नहीं दिखाई गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि वास्तव में, भूमि का एक हिस्सा पहले से ही केवीजीएसएस के पक्ष में आवंटित किया गया था और वह क्षेत्र, जिसे अब चारागाह भूमि के रूप में दावा किया गया है, पहले से ही खनन क्षेत्र के रूप में शोषण किया गया था। इन सबके बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से एक वचन दिया था और शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था कि वह तथाकथित चारागाह भूमि पर कोई भी खनन गतिविधि तब तक संचालित नहीं करेगा जब तक कि उसके पक्ष में एनओसी नहीं दी जाती। यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही राज्य को खनन पट्टा देते समय खनन क्षेत्र को कम करने के लिए नियमों के तहत अधिकार दिया गया था, राज्य ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को चारागाह भूमि को छोड़कर खनन के लिए लागू क्षेत्र को कम करने के लिए सूचित नहीं किया, न ही निर्देशित किया। याचिकाकर्ता ने चारागाह भूमि को प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर

करने की मांग की। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, 1955 के नियमों के तहत नए नियम, अर्थात नियम 7 ए की शुरूआत के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने समर्पण के लिए 13.06.2017 को जिला कलेक्टर, जिला जयपुर को आवेदन कर दिया है। खनन पट्टा क्षेत्र में शामिल बताई गई 1.38 हेक्टेयर चारागाह भूमि के बदले में 1.38 हेक्टेयर भूमि चारागाह प्रयोजनों के लिए दी गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने में कोई विधिक बाधा नहीं थी, क्योंकि उसने स्पष्ट वचन दिया था कि वह एनओसी या सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा पारित उचित आदेशों के बिना चरागाह भूमि पर खनन गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा।

18. अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने परम पावन **केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरला राज्य और अन्य (1973) 4 एससीसी 225; कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2007) 11 एससीसी 447; मोहम्मद गाजी बनाम मप्र राज्य एवं अन्य (2000) 4 एससीसी 342; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम मंदिरा चटर्जी एवं अन्य (2012) 13 एससीसी 582; बेग राज सिंह बनाम यूपी राज्य एवं अन्य (2003) 1 एससीसी 726; मैनुअलसंस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी 766; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड (2010) 3 एससीसी 274; कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ एवं अन्य एआईआर 2022 एससी 1017; लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल बनाम जगदीश चंद्र सिंह बोरा और अन्य (2014) 8 एससीसी 644; यूपी राज्य और अन्य बनाम दौलत राम गुप्ता (2002) 4 एससीसी 98; भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम एस.एल. सील, अतिरिक्त सचिव (इस्पात और खान), ओडिशा राज्य और अन्य (2017) 2 एससीसी 125; हिंदुस्तान लीवर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) 9 एससीसी 438; एमएस जे.के. (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड (सभी अपीलों में) बनाम एमएस न्यू कैसर-आई-हिंद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड और अन्य, एआईआर 1970 एससी 1041; डालमिया पावर लिमिटेड और अन्य बनाम सहायक आयकर आयुक्त सर्कल 1, त्रिची (2020) 14 एससीसी 736; राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बनाम प्रकाश चंद्र मिश्रा एवं अन्य (2011) 2 एससीसी 705; प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2 बनाम महागुन रियल्टर्स (पी)**

लिमिटेड, एआईआर 2022 एससी 1672; के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और सदानंद एस. वर्दे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2000 एससीसी ऑनलाइन बॉम 341; सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, 2009 एससीसी ऑनलाइन बॉम 2182; पुन: पीएमपी ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, कंपनी याचिका संख्या 1991 की 428 और अन्य संबंधित याचिकाएं और आवेदन 12.12.1991 को तय किए गए मामलों में मुंबई उच्च न्यायलय के निर्णय; टेलीसाउंड इंडिया लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, 1980 एससीसी ऑनलाइन डेल 327; कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड, ए.ओ.पी. 2011 का क्रमांक 411 एवं सी.पी. 2002 की संख्या 594 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसे कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम अनुप अग्रवाल और अन्य, अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 32486/2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। कुसुम मार्केटिंग लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 2017 एससीसी ऑनलाइन कैल 16551; गुजरात राज्य और अन्य बनाम निर्मलाबेन एस. मेहता और अन्य, (पत्र पेटेंट अपील संख्या 683/2011 और अन्य संबंधित मामले 13.12.2011 को तय किए गए) के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय; सहायनिधि विरुधुनगर लिमिटेड में इसके प्रबंध निदेशक, ए. समिनाथ मुदलियार बनाम मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय, ए.एस.आर. सुब्रह्मण्य नादर और अन्य बनाम ओजस्वी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, AIR 1951 MAD 209; के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2011 को पारित आदेश; राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 15114/2016 और एक अन्य संबंधित रिट याचिका); राजस्थान राज्य और अन्य बनाम ओजस्वी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्रा. लिमिटेड और अन्य (डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 301/2021 पर 08.07.2021 को निर्णय लिया गया) के मामलों में निर्णय; श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट संख्या 128/2017 दिनांक 26.09.2018 को निर्णय लिया गया); राजस्थान राज्य और अन्य बनाम में श्री सीमेंट लिमिटेड (डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 26/2019 दिनांक 22.01.2019 को निर्णय लिया गया) इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई; मैसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट

याचिका संख्या 427/2017 दिनांक 04.01.2018 को निर्णय लिया गया); मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 126/2017 दिनांक 23.08.2017 को निर्णय लिया गया); एमएस. एनयू विस्टा लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 360/2017 पर 01.09.2021 को निर्णय लिया गया); राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम एमएस. एनयू विस्टा लिमिटेड और अन्य (डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 998/2021 पर निर्णय 04.03.2022 को हुआ) पर भरोसा किया है।

19. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सुप्रा.) और श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (सुप्रा.) और अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा पहले ही दिए गए समान लाभ का पात्र है, जहां तथ्यों पर, भले ही यह पाया गया कि खनन पट्टे के लिए आवेदन किए गए क्षेत्र में चारागाह भूमि शामिल है, इस न्यायालय द्वारा चारागाह भूमि को छोड़कर खनन पट्टा देने के लिए निर्देश जारी किया गया था।

20. विचारणीय पहला मुद्दा यह है कि क्या आशय-पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता-उत्तराधिकारी कंपनी मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में स्थानांतरित/निहित किया गया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि एलओआई को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम या 1960 के नियमों में या 2016 के बाद के नियमों में या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

अपीलार्थी-राज्य द्वारा दायर रिट याचिका के उत्तर पर गौर करने से पता चलता है कि राज्य ने ऐसा कोई मामला सामने नहीं लाया है कि चूंकि एलओआई को प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सका, इसलिए अपीलार्थीगण ने खनन पट्टा अनुदान न देने का निर्णय किया। उत्तर के साथ भी, राज्य द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है कि किसी भी स्तर पर, खनन पट्टा देने के लिए रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के मामले में, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए फाइलों और नोट शीट में ऐसा कोई निर्णय लिया गया हो। हालाँकि, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी-राज्य द्वारा दायर बाद के अतिरिक्त जवाबी हलफनामों में,

एक स्टैंड लिया गया था कि भारत सरकार द्वारा जारी 12.02.2018 के स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का एकीकरण दायरे में आता है। स्थानांतरण और चूंकि एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में खनन पट्टा या आशय-पत्र देने के लिए आवेदन का कोई आवश्यक हस्तांतरण नहीं है, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता एलओआई के आधार पर खनन पट्टा देने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। प्रारंभ में जारी किया गया और उसके बाद समय-समय पर हस्तांतरणकर्ता कंपनी मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर बढ़ाया गया। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार, एलओआई पक्षों के बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं बनाता है। वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने पर इसे कंपनी की परिसंपत्ति/संपत्ति के रूप में भी नहीं माना जा सकता है और समामेलन योजना के माध्यम से परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण कहा जा सकता है।

21. उपरोक्त मुद्दे पर एक तर्क यह है कि चूंकि एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, एलओआई हस्तांतरणीय नहीं है। यह संतुष्ट है कि इसे कहावत, "एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस" और "कैसस ओमिसस" के अनुप्रयोग पर बहिष्कृत माना जाना चाहिए। इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्तुति विधिक रूप से गलत है। एमएमडीआर अधिनियम या 1960 के नियमों के तहत या बाद में बनाए गए नियमों अर्थात 2016 के नियमों के तहत एलओआई के हस्तांतरण पर न तो कोई स्पष्ट, न ही कोई अंतर्निहित रोक है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 12 ए हस्तांतरण का प्रावधान करती है। खनिज रियायतें एमएमडीआर अधिनियम के तहत दिए गए खनन पट्टे या समग्र लाइसेंस के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधानों के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आशय-पत्र से संबंधित हो। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3, उप-धारा (एई) खनन रियायत को या तो टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टा, समग्र लाइसेंस या उपरोक्त में से किसी के संयोजन के रूप में परिभाषित करती है और आगे प्रदान करती है कि अभिव्यक्ति "रियायत" होगी तदनुसार समझा गया। "साधन" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि खनिज रियायत की परिभाषा संपूर्ण है और समावेशी नहीं है। इसमें लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र नहीं है. इस प्रकार, एमएमडीआर

अधिनियम की धारा 12ए आशय-पत्र के हस्तांतरण को नियंत्रित नहीं करती है। वास्तव में, एमएमडीआर अधिनियम की योजना के तहत, आशय-पत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

22. 1960 के नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं। 1960 के नियमों के अध्याय IVमें निहित प्रावधान उस भूमि के संबंध में खनन पट्टे के अनुदान को नियंत्रित करते हैं जिसमें खनिज सरकार में निहित है। वे प्रावधान आशय-पत्र के हस्तांतरण को भी विनियमित नहीं करते हैं। 1960 के नियमों के नियम 37 में पट्टे के हस्तांतरण का प्रावधान है और जाहिर है, आशय-पत्र के संबंध में इसका कोई उपयोग नहीं है।

23. 2016 के नियम, जब बनाए गए थे और जिस समय वर्ष 2010 में डिमर्जर और समामेलन हुआ था, उसमें आशय-पत्र के हस्तांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, यह कहना कि आशय-पत्र के हस्तांतरण को विनियमित करने वाले किसी प्रावधान के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि आशय-पत्र के हस्तांतरण पर निहित निषेध है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, ग्राम कानोंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक के सरपंच बनाम निदेशक, होल्डिंग्स समेकन, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य (सुप्रा.); बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ बनाम एमएस. पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर (सुप्रा.) और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महालक्ष्मी मिंगरेट मार्केटिंग सर्विस प्रा. लिमिटेड और अन्य, (सुप्रा.) के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि आशय-पत्र के हस्तांतरण को विनियमित करने वाला कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

24. आशय-पत्र के हस्तांतरण का प्रावधान, पहली बार, 2016 के नियमों में 24.03.2021 से प्रभावी जीएसआर 209 (ई) दिनांक 24.03.2021 के माध्यम से नियम 23 ए डालकर प्रस्तुत किया गया था, जो आशय-पत्र के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। कुछ मामलों में खनन पट्टा या समग्र लाइसेंस देने के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं था। खनन पट्टा देने के लिए आशय-पत्र के हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम और ऊपर उल्लिखित नियमों में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में, नियम 23ए को शामिल किए जाने तक केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आशय-पत्र का स्थानांतरण 2016 के नियमों में, आशय-पत्र के हस्तांतरण को विनियमित करने

का कोई प्रावधान नहीं था और इसे कानून के प्रस्ताव के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था कि आशय-पत्र के हस्तांतरण के प्रावधान की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से आशय-पत्र के हस्तांतरण पर रोक लगाती है।

25. **राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महालक्ष्मी मिंगरेट मार्केटिंग सर्विस प्रा. लिमिटेड और अन्य, (सुप्रा.),** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आशय-पत्र केवल एक अनुबंध करने का इरादा व्यक्त करता है और जहां आशय-पत्र में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, और उस पक्ष का आचरण जिसके पक्ष में LoI है जारी किया गया अन्यथा ऐसा नहीं है जिससे विश्वास पैदा हो, आशय-पत्र जारी करने वाली पार्टी इसे वापस लेने की पात्र है और आशय-पत्र जारी करने के चरण में पक्षों के बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं है। यह माना गया कि आशय-पत्र जारी करने वाली पार्टी यह तय करने में परिस्थितियों की समग्रता को देखने की पात्र है कि पार्टी के साथ बाध्यकारी अनुबंध करना है या नहीं।

26. हाल के एक निर्णय में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम एस. कुमार के एसोसिएट्स एकेएम (जेवी) (सुप्रा.), के मामले में इसे कानून के स्थापित प्रस्ताव के रूप में दोहराया गया है कि एलओआई केवल एक पार्टी के भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के इरादे को इंगित करता है और उस स्तर पर पक्षों के बीच कोई बाध्यकारी संबंध सामने नहीं आता है। यह देखा गया है कि आशय-पत्र को संभवतः एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में समझा जा सकता है यदि ऐसा कोई इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट है लेकिन फिर ऐसा करने का इरादा स्पष्ट होना चाहिए। हालाँकि, यह इस बात से भिन्न है कि आशय-पत्र को सामान्य रूप से कैसे समझा जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आशय-पत्र, पक्षों के बीच एक बाध्यकारी संविदात्मक संबंध नहीं बनाता है, बल्कि इसे केवल एक अनुबंध करने के इरादे की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है।

27. कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी का पृथक्करण/समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा ही शासित होता है। 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 394 में निहित प्रावधान, 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी के संबंध में विभाजन और समामेलन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 1956 के कंपनी अधिनियम को बाद में निरस्त कर दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 संक्षेप में

'कंपनी अधिनियम 2013') द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान मामले में, डिमर्जर और समामेलन की कार्यवाही, जिसके बारे में हम इसके बाद अधिक विवरण से निपटेंगे, वर्ष 2010 में तैयार की गई थी और उन वर्षों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किए गए थे। इसलिए, वर्तमान मामले में, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू थे।

28. मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के बीच व्यवस्था (डीमर्जर) की योजना 18.05.2010 को दर्ज की गई थी। इस योजना में मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड (मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के संपूर्ण सीमेंट व्यवसाय के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391, 392, 393 और 394 की वैधानिक योजना के संदर्भ में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने क्रमशः 31.03.2010 और 06.05.2010 के अपने आदेशों के तहत मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के बीच डिमर्जर की योजना को मंजूरी दे दी। इसके बाद, मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता) के बीच समामेलन की योजना पर हस्ताक्षर किए गए। समामेलन की योजना को क्रमशः 11.06.2010 और 01.07.2010 के आदेशों के तहत मुंबई उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

29. सदानंद एस वर्दे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (सुप्रा.), के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक तर्क उठाया गया था कि जिस लेनदेन के द्वारा दो कंपनियों को समामेलन की योजना के तहत समामेलित किया गया था, वह धारा 269UA के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर एक "स्थानांतरण" था। आयकर अधिनियम, 1961 और हस्तांतरण के लिए "स्पष्ट प्रतिफल" समामेलन की योजना में दर्शाया गया प्रतिफल था और यह रुपये 10,00,000/- की मौद्रिक सीमा से कहीं अधिक था। फॉर्म संख्या 37-I में घोषणा दाखिल करने की बाध्यता थी, और ऐसा करने में विफलता के कारण, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-सी के आवेदन के परिणाम नहीं हो सके।

उत्तर में, तर्क यह था कि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-सी का उद्देश्य

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अनुसार न्यायालय के आदेशों के तहत किए गए स्थानांतरण पर लागू होना नहीं था।

आगे यह तर्क दिया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-सी के प्रावधान केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269यूए के खंड (एफ) द्वारा परिभाषित "स्थानांतरण" के मामलों पर लागू होंगे।

उपरोक्त तर्कों की जांच करते समय, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनियों के एकीकरण के परिणामों को भी मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया था और यह इस प्रकार देखा गया था:

> "106. अगला तर्क यह है कि अध्याय XX-सी के प्रावधान केवल "स्थानांतरण" के मामलों पर लागू होंगे जैसा कि धारा 269-यूए के खंड (एफ) द्वारा परिभाषित किया गया है। खंड (बी) में दी गई "स्पष्ट विचार" और खंड (एफ) में दिए गए "स्थानांतरण" की परिभाषाओं की जांच से स्पष्ट रूप से संकेत मिलेगा कि जिन स्थानांतरणों पर अध्याय XX-सी के प्रावधानों को लागू करने का इरादा है, वे केवल स्थानांतरण हैं समझौते या संविदात्मक स्थानांतरण और न कि वैधानिक स्थानांतरण या न्यायालय के आदेश या कानून के संचालन द्वारा किए गए स्थानांतरण। समामेलन की स्थिति में, स्थानांतरण बिक्री, विनिमय, पट्टे या किराए के माध्यम से नहीं होता है ताकि धारा 269-यूए के अंतर्गत आए। इसके अलावा, जिस प्रक्रिया के तहत विचाराधीन भूमि समामेलन आदेश के आधार पर अंतरिती कंपनी में निहित हो गई, वह खंड (डी) (ii) के अर्थ में "अचल संपत्ति" के विवरण का उत्तर नहीं देगी, न ही इसका उत्तर देती है। इस संबंध में देखें (शैलेंद्र कुमार रे बनाम द बैंक ऑफ कलकत्ता), 1948 (18) कंपनी केस 1 और (सयाननिधि विरुधुनगर लिमिटेड बनाम ए.एस.आर. सुब्रमण्य नादर), ए.आई.आर. 1951 मद्रास 209 और (टेलीसाउंड इंडिया लिमिटेड इन रे.), 1983 (53) कंपनी मामले 926। शैलेन्द्र कुमार रे के मामले (सुप्रा.) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि एकीकरण की स्थिति में भी यह कहा जा सकता है कि वहाँ संपत्ति

का हस्तांतरण था, हस्तांतरण किसी असाइनमेंट के माध्यम से नहीं था बल्कि वैधानिक प्रावधान के बल और कानून के संचालन द्वारा समर्थित न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया था। सयानिधि के मामले (सुप्रा.) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को दोहराया। टेलसाउंड के मामले (सुप्रा.) में, यह माना जाता है कि चूंकि समामेलन की उत्पत्ति क़ानून में होती है और यह चरित्र में वैधानिक है, स्थानांतरण और निहितीकरण कानून के संचालन द्वारा होता है और यह हस्तांतरणकर्ता कंपनी का कार्य नहीं है, न ही इसके द्वारा कोई असाइनमेंट है, बल्कि एक वैधानिक साधन का परिणाम है। जे.के. में (बम.) प्रा. लिमिटेड बनाम न्यू कैसर जे. हिंद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, 1967 (2) कंपनी लॉ जर्नल 272, इस न्यायालय ने (रे गार्नर मोटर्स लिमिटेड), 1937 (1) ई.आर. 671 सभी में न्यायालय के निर्णय को मंजूरी के साथ उद्धृत किया और यह माना गया कि कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कंपनी न्यायालय द्वारा मंजूरी मिलने पर समामेलन की एक योजना वैधानिक संचालन में है और यह आवश्यक पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक मात्र समझौते से अलग और अलग है। भले ही योजना को सभी संबंधित पक्षों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो सर्वसम्मति, केवल इसलिए कि इस पर इतनी सहमति है, न्यायालय इस पर अपनी मुहर लगाने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय के पास किसी योजना को अस्वीकार करने का विवेक और शक्ति है, भले ही सभी शेयरधारक और लेनदार इससे सहमत हों। लेकिन, एक बार जब योजना की कंपनी न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और कंपनी अधिनियम की धारा 391 के तहत दिए गए आदेश द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो यह अनुबंध के चरित्र को बनाए रखना बंद कर देती है और क़ानून के बल पर संचालित होती है। इस निर्णय पर उच्चतम न्यायलय ने (जे.के. (बॉम) प्राइवेट लिमिटेड बनाम न्यू कैसर जे. हिंद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड), 1970 (40) कंपनी केस 689 में अपील में विचार किया था और उच्चतम न्यायलय ने दोहराया था एक

बार जब कोई योजना न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तो यह पक्षों के बीच एक समझौते के रूप में काम करना बंद कर देती है और कंपनी, लेनदारों और शेयरधारकों पर बाध्यकारी हो जाती है और कंपनी अधिनियम की धारा 391 के प्रावधानों के आधार पर वैधानिक संचालन करती है। कंपनी न्यायालय द्वारा स्वीकृत ऐसी योजना उन लेनदारों और शेयरधारकों के लिए भी वैधानिक रूप से बाध्यकारी है, जिन्होंने इससे असहमति जताई हो या जिन्होंने इसकी मंजूरी का विरोध किया हो। इसलिए, उस अर्थ में इसे वैधानिक मंजूरी प्राप्त है। उच्चतम न्यायलय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए रे गार्नर मोटर्स लिमिटेड (सुप्रा.) में टिप्पणियों को भी मंजूरी दे दी। (हाउस ऑफ लेबरर्स लिमिटेड बनाम कोमिला बेकिंग) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ, ए.आई.आर. 1937 कैल. 381 समान प्रभाव वाले हैं।

107. ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो सुझाव देते हैं कि जब एकीकरण होता है, तो संपत्ति का हस्तांतरण कंपनी न्यायालय के आदेश के बल पर और/या कानून के संचालन से होता है; यह संविदात्मक या सहमति से किया गया स्थानांतरण नहीं रह जाता है। इसलिए, तर्क यह है कि अध्याय XX-सी कानून के संचालन द्वारा इस तरह के हस्तांतरण के लिए आकर्षित नहीं है। इस विवाद में दम है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।"

30. सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, रे (सुप्रा.) में, मुंबई उच्च न्यायालय के मामले में एक अन्य निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इस प्रकार देखा:

"18.....प्रश्न यह है कि क्या आपूर्ति समझौते के संदर्भ में ट्रांसफ़री कंपनी ट्रांसफ़रर कंपनी की उत्तराधिकारी होगी। पाठ में हस्तक्षेपकर्ता कंपनी का विवरण देते समय, उसी समझौते में उल्लेख किया गया है कि अभिव्यक्ति जब तक कि वह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसका अर्थ माना जाएगा और इसमें उसके उत्तराधिकारी और नियुक्तियां भी शामिल होंगी। दूसरे शब्दों में, दोनों पक्षों ने

स्पष्ट रूप से समझा कि जहां तक किसी भी पक्ष के उत्तराधिकारी आपूर्ति समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे। पूरे समझौते में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उत्तराधिकार की अनुमति देने से पहले संबंधित पक्ष को दूसरे की पूर्व लिखित सहमति लेनी होगी। इसके विपरीत, स्थानांतरण या असाइनमेंट के मामले में यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है कि हस्तक्षेपकर्ता कंपनी की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, समामेलन की योजना के परिणामस्वरूप हस्तांतरिती कंपनी हित में उत्तराधिकारी बन जाएगी क्योंकि हस्तांतरणकर्ता कंपनी बिना समापन के भंग हो जाएगी। याचिकाकर्तागण ने 1987 के सप्ल एससीसी 536: एआईआर 1988 एससी 215 में प्रकाशित भगवानदास चोपड़ा बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर उचित रूप से भरोसा किया है, जिसमें न्यायालय ने समामेलन की योजना के प्रभाव के बारे में तर्क पर विचार किया था और ऐसे समामेलन के परिणामस्वरूप हस्तांतरित कंपनी की स्थिति पैराग्राफ 5 में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा (एआईआर 1988 का पृष्ठ 218):

> "हालांकि, उन मामलों से निपटने के लिए एक उचित प्रक्रिया विकसित करना आवश्यक है जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान हित का हस्तांतरण होता है। इन परिस्थितियों में यह मानना उचित है कि हर मामले में स्थानांतरण, हस्तांतरण, विलय, अधिग्रहण या समामेलन की एक योजना जिसके तहत एक कंपनी या निगम के अधिकार और देनदारियां किसी निजी संधि, या न्यायिक आदेश या किसी कानून के तहत हस्तांतरिती के तहत किसी अन्य कंपनी या निगम को हस्तांतरित हो जाती हैं। उत्तराधिकारी के रूप में कंपनी या निगम-हित हस्तांतरणकर्ता कंपनी, या निगम की सभी देनदारियों के अधीन हो जाता है और हस्तांतरण या विलय के अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन हस्तांतरणकर्ता कंपनी या निगम के सभी अधिकारों का पात्र हो जाता है, समामेलन की योजना और विधिक प्रावधान, जैसा भी मामला हो, जिसके तहत ऐसा स्थानांतरण,

हस्तांतरण, विलय, अधिग्रहण या समामेलन, जैसा भी मामला हो, हुआ होगा। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी शर्तों के अधीन यह किसी तीसरे पक्ष द्वारा अंतरणकर्ता कंपनी या निगम के खिलाफ दायर किसी भी कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही में अंतरणकर्ता कंपनी या निगम के स्थान पर या उसके अतिरिक्त पक्षकार बनने के लिए उत्तरदायी हो जाता है या पक्षकार बनने का पात्र हो जाता है या किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ अंतरणकर्ता कंपनी या निगम द्वारा दायर किया गया है और उन कार्यवाहियों में जो भी कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, वे अंतरिती कंपनी या निगम के खिलाफ उसी तरह से काम करना जारी रखेंगे और बाध्यकारी होंगे, जिस तरह से वे किसी व्यक्ति के खिलाफ काम करते हैं। कोई भी हित नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 के नियम 10 में उल्लिखित किसी भी तरीके से हस्तांतरित किया गया है, जो हस्तांतरण या विलय के अनुबंध, समामेलन की योजना या लेनदेन को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों में किसी भी शर्त के अधीन है जिसके तहत अंतरिती कंपनी या निगम अंतरणकर्ता कंपनी या निगम का उत्तराधिकारी बन गया है।"

उपरोक्त मामले में, **सहायनिधि (विरुधुनगर) लिमिटेड बनाम ए.आर.एस. सुब्रह्मण्य नादर (1950) 20 कॉम्प कैस 214** मामले में व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने वाले न्यायालय के आदेश के प्रभाव से संबंधित मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय, मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार विचार किया गया था:

"19. सहायनिधि (विरुधुनगर) लिमिटेड बनाम ए.एस.आर. सुब्रह्मण्य नादर ने [1950] 20 कॉम्प कैस 214 एआईआर 1951 मैड 209 में प्रकाशित के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है। पैराग्राफ 4 में, व्यवस्था को मंजूरी देने वाले न्यायालय के आदेश के प्रभाव से निपटने वाली न्यायालय ने इस प्रकार देखा (पृष्ठ 217):

"ए-2 और ए-3 के रूप में संदर्भित स्थानांतरण के दो कार्यों में शर्तों पर

विचार करने से पहले, हम कंपनी अधिनियम की धारा 153 ए का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसे एक के बीच व्यवस्था और समझौते की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया है। कंपनी और उसके लेनदार या शेयरधारक जिसमें ऐसी व्यवस्था के हिस्से के रूप में अपनी संपत्तियों और देनदारियों को अन्य कंपनियों को हस्तांतरित करना शामिल है। यदि ऐसी किसी योजना या व्यवस्था को न्यायालय द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो न्यायालय को अनुभाग द्वारा अपने आदेश को मंजूरी देकर प्रावधान करने का अधिकार है। परिसमापन में किसी कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को किसी अन्य कंपनी में स्थानांतरित करने की व्यवस्था या कोई बाद का आदेश, जिसे अनुभाग में अंतरिती कंपनी के रूप में स्टाइल किया गया है। जहां अनुभाग के तहत किए गए न्यायालय के आदेश में परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण का प्रावधान है एक कंपनी का किसी अन्य कंपनी को परिसमापन होने पर, उस आदेश के आधार पर, परिसंपत्तियाँ, बिना किसी अतिरिक्त के, स्थानांतरित कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाती हैं और उसमें निहित हो जाती हैं और पूर्व कंपनी की देनदारियां भी हस्तांतरित कंपनी पर डाल दी जाती हैं।"

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के परिणामस्वरूप होने वाले विधिक परिणामों पर उस मामले के तथ्यात्मक आधार पर विचार किया गया था कि आपूर्ति समझौते में प्रावधान था कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी, जब तक कि यह प्रतिकूल न हो इसके संदर्भ और अर्थ को इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनमेंट के रूप में समझा जाएगा और इसे इस प्रकार माना जाएगा:

"21. प्राथमिकता के तौर पर, अंतरिती कंपनी अंतरणकर्ता कंपनी के हित में उत्तराधिकारी के पद पर कदम रखेगी और आपूर्ति समझौते के नियमों और शर्तों से बंधी होगी और सभी मामलों में इसका अक्षरश: पालन करने के लिए बाध्य होगी।

....."

31. टेलीसाउंड इंडिया लिमिटेड के मामले में एक अन्य निर्णय में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो कंपनियों के समामेलन के मामले में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत व्यवस्था की योजना से उत्पन्न होने वाले विधिक परिणामों से निपटते हुए अभिनमिर्धारित किया:

> "12. एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ समामेलन या दो कंपनियों का एकीकरण कर तीसरी कंपनी बनाना, एक कंपनी और उसके सदस्यों तथा दूसरी कंपनी और उसके सदस्यों के बीच की गई व्यवस्थाओं की दो समानांतर योजनाओं द्वारा लाया जाता है और दो अलग-अलग व्यवस्थाएं सभी सदस्यों को बांधती हैं। इसलिए, समामेलन एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय करना या दोनों का विलय करके एक तीसरी कंपनी बनाना है, जो केवल दो कंपनियों या उनके सदस्यों का कार्य नहीं है बल्कि एक वैधानिक साधन के आधार पर लाया जाता है और उस हद तक वैधानिक होता है उत्पत्ति और चरित्र, और उस हद तक यह एक सामान्य प्रयास, एक उपक्रम या उद्यम जे.के. (मुंबई) पी. लिमिटेड बनाम न्यू कैसर-आई-हिंद एसपीजी और Wvg कंपनी लिमिटेड, [1970] 40 कॉम्प कैस 689 (एससी) में विलय या शामिल होने की मात्र द्विपक्षीय व्यवस्था से अलग है। एक बार जब न्यायालय समामेलन को मंजूरी दे देती है, तो समामेलन को वैधानिक शक्ति के आधार पर प्रभावी और बाध्यकारी बना दिया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ, हस्तांतरणकर्ता द्वारा संपूर्ण उपक्रम या किसी भी हिस्से के हस्तांतरणकर्ता-कंपनी, संपत्ति के अधिकार और हस्तांतरणकर्ता-कंपनी की देनदारियां एस के शैलेन्द्र कुमार रे बनाम बैंक ऑफ कलकत्ता लिमिटेड, [1948] 18 कॉम्प कैस 1 प्रावधानों के आधार पर. अधिनियम की धारा 394, जिसका उद्देश्य समामेलन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है:
>
> अभिव्यक्ति "संपत्ति" और "देनदारियाँ", जिसे एस के तहत समामेलन पर स्थानांतरित किया जा सकता है 394(1) को उप-धाराओं द्वारा बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है। (4)(ए) उस धारा में, ताकि क्रमशः

"प्रत्येक विवरण के अधिकार और शक्तियां" और "प्रत्येक विवरण के कर्तव्य" शामिल हों। इसलिए, अभिव्यक्ति "संपत्ति" इतनी व्यापक होगी कि इसमें किरायेदारी के अनुबंध सहित किसी अनुबंध के तहत अधिकार शामिल हो सकें। ये उस संपत्ति और अधिकार के साथ सह-व्यापक हैं जो अंतरणकर्ता-कंपनी को अपनी परिसंपत्तियों के संबंध में प्राप्त है, लेकिन अंतरणकर्ता-कंपनी जिस अधिकार की पात्र थी, उससे अधिक व्यापक नहीं हो सकते। अधिकार, संपत्ति, वास्तव में अंतरणकर्ता-कंपनी के दायित्व, समामेलन के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा दिए गए निहित आदेश के आधार पर अंतरिती-कंपनी के अधिकार, संपत्ति और दायित्व बन जाते हैं। यह न तो अधिकार या संपत्ति का असाइनमेंट है, न ही कंपनी द्वारा संपत्ति का असाइनमेंट है। यह कंपनी के साथ-साथ अधिकारों, संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण है और यह केवल विचारों के भ्रम का परिणाम है कि इसे कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए असाइनमेंट के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो कंपनी से स्वतंत्र और अलग है। ऐसी धारणा कंपनी कानून में एकीकरण की विशिष्ट स्थिति और इसकी वास्तविक विधिक घटना को नजरअंदाज करती है। यह ऐतिहासिक कारणों से है कि कंपनियों के विलय को सुविधाजनक बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ, बीमार इकाइयों की स्वास्थ्य स्थिति को बहाल करने, कॉर्पोरेट क्षेत्र के बेहतर, अधिक प्रभावी और किफायती प्रबंधन में मदद करने के लिए समामेलन के उपकरण को कंपनी कानून में बनाया गया था। निरंतर उत्पादन, रोजगार के बढ़े हुए अवसर और राजस्व सृजन सुनिश्चित करना। आईटी की धारा 72ए.

अधिनियम एक कंपनी के दूसरे कंपनी में इस तरह के अवशोषण के लिए प्रोत्साहनों में से एक है। समामेलन पर अंतरणकर्ता-कंपनी अपने कॉर्पोरेट आवरण को त्यागकर अंतरिती-कंपनी में विलीन हो जाती है, लेकिन सभी उद्देश्यों के लिए जीवित रहती है और बड़े हिस्से के रूप में संपन्न होती है। उस अर्थ में, अंतरणकर्ता-कंपनी उप-एस के तहत समापन के बिना

समामेलन या विघटन पर समाप्त नहीं होती है। (1) एस. 394. यह समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह दूसरे में विलीन हो गया है। समापन अनावश्यक है। इसे इसलिए नहीं भंग किया गया है क्योंकि यह मर गया है, या इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, बल्कि इसलिए कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह एक कॉर्पोरेट शेल का हिस्सा बनकर दूसरे में विलीन हो गया है; विघटन इसके स्वतंत्र कॉर्पोरेट शेल की मृत्यु है, क्योंकि एक कंपनी के दो शेल नहीं हो सकते। इसलिए, इसे भंग कर दिया गया है क्योंकि स्वतंत्र शेल या कॉर्पोरेट नाम अनावश्यक है। कंपनी का तात्पर्य इसके सदस्यों से है, जो इसे बनाते हैं, इसकी संपत्ति और अधिकार, इसकी देनदारियां, इसका उपक्रम, व्यवसाय या अन्य गतिविधि। यह शंख या नाम का पर्याय नहीं है। समामेलन और परिणामी विघटन पर ये सभी विशेषताएँ एक बड़ी इकाई के हिस्से के रूप में जीवित रहती हैं। एकमात्र भाग जो मर जाता है वह है खोल और नाम। यह एक प्राकृतिक व्यक्ति की मृत्यु के विपरीत है और फिर भी बड़े और गहरे अर्थ में समान है। यह इसके विपरीत है, क्योंकि एक प्राकृतिक व्यक्ति, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, किसी भी भौतिक रूप में मृत्यु से बच नहीं पाता है। हालाँकि, हस्तांतरणकर्ता-कंपनी जीवित रहती है, क्योंकि उसके सदस्यों, उसकी संपत्तियों, उपक्रमों आदि के विघटन के बाद भी निरंतरता बनी रहती है। एक प्राकृतिक व्यक्ति की संपत्ति सीमित अवधि के लिए उत्तराधिकारी के हाथों में बनी रहती है। एक बड़े और गहरे अर्थ में, यहां तक कि एक प्राकृतिक व्यक्ति भी एक अस्तित्व की निरंतरता में अपनी शारीरिक मृत्यु से बच जाता है, जिसे व्यापक ब्रह्मांड में विलीन होना माना जाता है। हालाँकि, यह मृत्यु के बाद के जीवन के अध्ययन का एक क्षेत्र है, या जिसे कभी-कभी जीवन के बाद के जीवन के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां प्रक्रिया एक अलग आयाम की होती है और वर्णन को अस्वीकार करती है और किसी भी घटना में, संकीर्ण कम्पास के लिए बहुत गहरी और व्यापक होती है। इसलिए, एक प्राकृतिक व्यक्ति की मृत्यु और समापन के बिना विघटन के बीच समानता

अनुचित है।

32. कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सुप्रा.) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत व्यवस्था की योजना से उत्पन्न होने वाले विधिक परिणामों से निपटा और निम्नानुसार अभिनमिर्धारित किया:

> "29. वर्तमान मामले में व्यवस्था की योजना मार्च, 2002 में आवश्यक आदेशों के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई थी। योजना के तहत पार्टियां इस बात पर सहमत हुईं कि सी.एम.एल. सी.टी.एल. द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को आगे बढ़ाने और योजना प्रभावी होने पर खनन पट्टा प्रदान करने हेतु। उनका लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। खनन पट्टा सी.टी.एल. के पक्ष में दिया गया था। 18 जून, 2002 को और सी.टी.एल. के पक्ष में 1 जुलाई, 2002 को। पंजीकृत किया गया था। जनवरी 2003 में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ झारखंड सरकार को भी नोटिस भेजा गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि पक्षों के बीच व्यवस्था की योजना की पुष्टि के लिए इस न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था। सी.टी.एल. का खनन प्रभाग सी.एम.एल. में स्थानांतरित किया जा रहा था। 28 अप्रैल, 2003 को केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि उसे इस योजना पर कोई आपत्ति नहीं है। इस योजना को इस न्यायालय द्वारा 13 मई, 2003 को ही मंजूरी दे दी गई थी। जून, 2009 में एक सुधार विलेख भी निष्पादित किया गया है, जिसमें खनन पट्टे पर पट्टेदार का नाम बदलकर सी.एम.एल. कर दिया गया है।
>
> 30. हमारा विचार है कि खनन पट्टे के लिए आवेदन हस्तांतरित किया गया था, न कि खनन पट्टे का। इस तरह के स्थानांतरण के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी खनन पट्टे को हस्तांतरित किया जाना है तो केवल पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। माना जाता है कि यह योजना 31 अक्टूबर 2001 से स्वीकृत की गई थी, जब

सी.टी.एल. के पक्ष में कोई खनन पट्टा नहीं था। इसलिए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि खनन पट्टे के लिए आवेदन योजना के तहत स्थानांतरित किया गया था।

33. उपरोक्त निर्णय में यह माना गया कि खनन पट्टा अनुदान हेतु आवेदन व्यवस्था योजना के तहत हस्तांतरित किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं था जहां इस तरह के हस्तांतरण के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी, यह खनन पट्टे के हस्तांतरण का मामला नहीं था बल्कि केवल खनन पट्टा देने के लिए एक आवेदन था।

34. **प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2 बनाम महागुन रियलटर्स (पी) लिमिटेड, (सुप्रा.),** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 1956 की योजना के तहत कंपनियों के एकीकरण पर होने वाली वैधानिक योजना और विधिक परिणामों पर विस्तार से विचार किया और निम्नानुसार अभिनमिर्धारित किया:

> "18. इस प्रकार, समामेलन एक कॉर्पोरेट इकाई के समापन के विपरीत है। समामेलन के मामले में, कॉर्पोरेट इकाई का बाहरी आवरण निस्संदेह नष्ट हो जाता है; उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर भी, शब्द के हर दूसरे अर्थ में, कॉर्पोरेट उद्यम जारी रहता है-नई या मौजूदा हस्तांतरित इकाई के भीतर शामिल होता है। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय और रोमांच एक नए कॉर्पोरेट निवास अर्थात ट्रांसफ़री कंपनी के भीतर ही रहता है। इसलिए, कॉर्पोरेट इकाई के विनाश की मात्र अवधारणा से परे देखना आवश्यक है जो किसी भी मूल्यांकन कार्यवाही को समाप्त या समाप्त कर देता है। नागरिक कानून और प्रक्रिया में ऐसी समानताएं हैं जहां समामेलन पर, कार्रवाई का कारण या शिकायत समाप्त नहीं होती है-यह निश्चित रूप से, अधिनियमन की संरचना और उद्देश्य पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर, विधिक प्रणालियों और न्यायालयों की खोज यह पता लगाने की रही है कि क्या किसी विशेष कारण या कार्रवाई के संबंध में कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद है, जिस पर संपत्ति हस्तांतरित हो सकती है या जिस पर निर्णय होने की स्थिति में दायित्व आएगा।
>
> सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट बनाम आयकर आयुक्त हरियाणा, हिमाचल

प्रदेश, (1990) अनुपूरक (1) एससीआर 332 में, तथ्य यह थे कि समामेलन के बाद, हस्तांतरित कंपनी ने कर से छूट का दावा किया था, उस राशि पर जिसे व्यापार के रूप में अनुमति दी गई थी देयता-उपचय आधार पर, अंतरिती कंपनी के हाथों में, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। राजस्व ने उस दावे को अस्वीकार कर दिया; उस दृष्टिकोण को कायम रखा गया। इस न्यायालय ने कहा कि:

"एकीकरण में दो या दो से अधिक कंपनियों को विलय द्वारा या दूसरे द्वारा अधिग्रहण करके एक में मिला दिया जाता है। पुनर्निर्माण या 'एकीकरण' का कोई सटीक विधिक अर्थ नहीं है। समामेलन दो या दो से अधिक मौजूदा उपक्रमों को एक उपक्रम में मिलाना है, प्रत्येक सम्मिश्रण कंपनी के शेयरधारक उस कंपनी में काफी हद तक शेयरधारक बन जाते हैं जिसे मिश्रित उपक्रमों को आगे बढ़ाना होता है। दो या दो से अधिक उपक्रमों को एक नई कंपनी में स्थानांतरित करके, या एक या अधिक उपक्रमों को किसी मौजूदा कंपनी में स्थानांतरित करके एकीकरण हो सकता है। कड़ाई से 'समामेलन' किसी कंपनी द्वारा अन्य कंपनी की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को कवर नहीं करता है जो अस्तित्व में रहती है और अपना उपक्रम जारी रखती है, लेकिन जिस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया जाता है वह यह दिखा सकता है कि इसका उद्देश्य ऐसे अधिग्रहण को शामिल करना है। देखें: हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण खंड। 7 पैरा 1539। दो कंपनियाँ एक नई कंपनी बनाने के लिए जुड़ सकती हैं, लेकिन एक का दूसरे द्वारा अवशोषण या सम्मिश्रण हो सकता है, दोनों ही समामेलन के समान हैं। जब दो कंपनियों का विलय हो जाता है और वे इस तरह जुड़ जाती हैं कि एक तीसरी कंपनी बन जाती है या एक कंपनी दूसरी में समा जाती है या दूसरी कंपनी में मिल जाती है, तो विलय करने वाली कंपनी अपनी इकाई खो देती है।

मेसर्स जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड बनाम एम.ए. एलआरएस द्वारा खादर (मृत), [1986] 2 एस.सी.सी. 656: (एआईआर

1986 एससी 1218) में, दो कंपनियों के एकीकरण के प्रभाव पर विचार किया गया। एमएस जनरल रेडियो एंड एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड एक समझौते के तहत एक परिसर का किरायेदार था, जिसमें प्रावधान था कि किरायेदार मकान मालिक की सहमति के बिना परिसर या उसके किसी भी हिस्से को किसी को किराए पर नहीं देगा। एमएस जनरल रेडियो एंड एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड को मेसर्स के साथ मिला दिया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के तहत उच्च न्यायालय के एक समामेलन और आदेश के तहत नेशनल एक्को रेडियो एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड समामेलन योजना के तहत, हस्तांतरित कंपनी, अर्थात्, मैसर्स नेशनल एक्को रेडियो एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने हस्तांतरणकर्ता कंपनी के लीजहोल्ड और किरायेदारी अधिकारों सहित सभी हित, अधिकार हासिल कर लिए थे और वही हस्तांतरणकर्ता कंपनी में निहित थे। समामेलन योजना के अनुसरण में अंतरिती कंपनी ने उस परिसर पर कब्जा जारी रखा जो अंतरणकर्ता कंपनी को किराए पर दिया गया था। मकान मालिक ने हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा परिसर को अनधिकृत रूप से उप-किराये पर देने के आधार पर बेदखली की कार्यवाही शुरू की। ट्रांसफ़री कंपनी ने एक बचाव स्थापित किया कि मुंबई उच्च न्यायलय के आदेश के तहत दोनों कंपनियों के एकीकरण से ट्रांसफ़रर कंपनी द्वारा रखे गए सभी हित, पट्टे और किरायेदारी के अधिकार सहित अधिकार ट्रांसफ़री कंपनी के साथ मिश्रित हो गए, इसलिए ट्रांसफ़री कंपनी विधिक किरायेदार थी और किसी भी उप-किरायेदारी का कोई सवाल ही नहीं था। किराया नियंत्रक और उच्च न्यायालय दोनों ने मकान मालिक के मुकदमे पर निर्णय सुनाया। इस न्यायालय ने अपील में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर किए गए समामेलन के आदेश के तहत, हस्तांतरणकर्ता कंपनी का कानून की नजर में अस्तित्व समाप्त हो गया और इसने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए खुद को मिटा दिया। यह निर्णय बताता है कि दोनों कंपनियों के समामेलन के बाद हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कोई इकाई नहीं

रह जाती है और समामेलित कंपनी ने एक नई स्थिति हासिल कर ली है और दोनों कंपनियों को उनकी देनदारियों और संपत्तियों के संबंध में भागीदार या संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानना संभव नहीं है। मौजूदा मामले में ट्रिब्यूनल ने सही माना कि अपीलार्थी कंपनी एक अलग इकाई और एक अलग निर्धारिती थी, इसलिए, इंडियन शुगर कंपनी को दिया गया भत्ता, जो एक अलग निर्धारिती था, को अधिनियम की धारा 41(1) के उद्देश्य से समामेलित कंपनी की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि दो कंपनियों के समामेलन के बाद भी, हस्तांतरणकर्ता कंपनी अस्तित्वहीन नहीं हुई, बल्कि उसने अपीलार्थी कंपनी के साथ मिश्रित रूप में अपनी इकाई जारी रखी। उच्च न्यायालय का यह विचार कि समामेलन पर 'हस्तांतरणकर्ता कंपनी के कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का पूर्ण विनाश नहीं होता है, बल्कि एक के कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का दूसरे कॉर्पोरेट निकाय के साथ मिश्रण होता है और यह दूसरे के साथ ऐसे ही जारी रहता है, कानून में टिकाऊ नहीं है। समामेलन का वास्तविक प्रभाव और चरित्र काफी हद तक विलय योजना की शर्तों पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब दो कंपनियां मिलकर एक में विलीन हो जाती हैं तो हस्तांतरणकर्ता कंपनी अपनी इकाई खो देती है क्योंकि उसका व्यवसाय बंद हो जाता है। हालाँकि, देनदारियों के उनके संबंधित अधिकार समामेलन की योजना के तहत निर्धारित किए जाते हैं लेकिन हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कॉर्पोरेट इकाई समामेलन प्रभावी होने की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहती है।

35. व्यवस्था की योजना पर या समामेलन के मामले में आने वाले परिणामों से निपटने के लिए, ऊपर उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला में बताई गई उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों और उस पर आने वाले परिणामों पर विचार करेंगे। मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड ने व्यवस्था की योजना के बीच मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता) में समामेलन की योजना के बाद प्रवेश

किया।

मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के बीच व्यवस्था की योजना को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2010 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था। धारा 3 का खंड (ई), भाग II, "डीमर्जर" में अलग किए गए उपक्रम का स्थानांतरण और निहितीकरण नीचे दिया गया है:

> "(ई) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, योजना के प्रभावी होने पर, खनन पट्टों सहित किसी भी पट्टाधारक संपत्तियों में अलग की गई कंपनी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित और दावे (इसमें निर्धारित किए गए सहित) इसकी अनुसूची III) और अलग किए गए उपक्रम के संबंध में अलग की गई कंपनी के पूर्वेक्षण लाइसेंस (प्रत्येक मामले में, उसके लिए किए गए किसी भी आवेदन सहित), अधिनियम की धारा 394(2) के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त कार्य या विलेख के, नियत तिथि से परिणामी कंपनी को हस्तांतरित और निहित किया जाएगा या परिणामी कंपनी को हस्तांतरित और निहित माना जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूची III में, राजस्थान राज्य के संबंध में, खंड 6.एच के तहत, "अलग किए गए उपक्रम से संबंधित खनन पट्टों का विवरण" स्पष्ट रूप से नीचे दर्ज किया गया था:

> "एच. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतपुरा गांवों को 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए खनन पट्टा संख्या 19/06 आवंटित करने के लिए राजस्थान सरकार से आशय-पत्र संख्या पी.2(185) खान/समूह-2/07 दिनांक 10 अक्टूबर 2007. भैंसलाना, कुजोता और मेहरामपुर (नवाब), तहसील कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान।"

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2010 को पारित आदेश में, व्यवस्था की योजना को मंजूरी देते हुए, अनुसूची III में, राजस्थान राज्य के संबंध में, खंड 6 के तहत, "विघटित उपक्रम से संबंधित खनन पट्टों का विवरण, यह स्पष्ट रूप से नीचे दर्ज किया गया था:

> "एच. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतपुरा गांवों को 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र

को कवर करते हुए खनन पट्टा संख्या 19/06 आवंटित करने के लिए राजस्थान सरकार से आशय-पत्र संख्या पी.2(185) खान/समूह-2/07 दिनांक 10 अक्टूबर 2007। भैंसलाना, कुजोता और मेहरामपुर (नवाब), तहसील कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आशय-पत्र, जो मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जारी किया गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित व्यवस्था योजना के आधार पर मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में स्थानांतरित किया गया था। यह नोट करना प्रासंगिक है कि यह राजस्थान सरकार द्वारा मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अजीतपुरा, भैंसलाना, कुजोता और मेहरामपुर (नवाब), तहसील कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान गांवों में स्थित 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए खनन पट्टा संख्या 19/06 आवंटित करने के लिए, जो वर्तमान अपील का विषय है, के पक्ष में जारी दिनांक 10.10.2007 का आशय-पत्र था।

36. इसी प्रकार, बाद में, मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता) के समामेलन की योजना को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2010 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था। समामेलन की योजना के खंड (बी) के तहत परिभाषित समामेलन के प्रयोजन के लिए शीर्षक "उपक्रम" स्पष्ट रूप से नीचे दिया गया है:

"(बी) सभी परमिट, कोटा, अधिकार, हकदारियां, औद्योगिक और
अन्य लाइसेंस, बोलियां, निविदाएं, आशय-पत्र,"

खंड 4 का उप-खंड (ए), भाग II के तहत "परिसंपत्तियों का हस्तांतरण", "हस्तांतरणकर्ता कंपनी का अंतरिती कंपनी के साथ समामेलन" निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

"(ए) उपरोक्त खंड 3 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, योजना के लागू होने पर और नियत तिथि से प्रभावी, सभी संपत्ति, अधिकार, दावे, शीर्षक, हित और अभिवृद्धि सहित प्राधिकरण और उपक्रम में शामिल अनुलग्नक, चाहे किसी भी प्रकृति के हों और कहीं भी स्थित हों, अधिनियम की धारा 391 से 394 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू

प्रावधानों, यदि कोई हों, के तहत, बिना किसी अतिरिक्त कार्य या विलेख के, हस्तांतरित किए जाएंगे और उसमें निहित किए जाएंगे। ट्रांसफ़री कंपनी और/या ट्रांसफ़री कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में हस्तांतरित और निहित माना जाएगा ताकि नियत तिथि से संपत्ति, अधिकार, दावे, शीर्षक, हित और ट्रांसफ़री कंपनी प्राधिकारी बन सकें।

मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2010 को पारित आदेश, अन्य बातों के अलावा, नीचे जानकारी दी गई है:

"2. कि नियत तिथि से, याचिकाकर्ता कंपनी का पूरा व्यवसाय और संपूर्ण उपक्रम, जैसा कि याचिका के अनुबंध "एफ" में दी गई योजना में निर्धारित किया गया है, बिना किसी अतिरिक्त कार्य या विलेख के हस्तांतरित और उसमें निहित हो जाएगा और/या ट्रांसफ़री कंपनी को हस्तांतरित और उसमें निहित समझा जाएगा।"

राजस्थान राज्य के संबंध में "(बी) समृद्धि सीमेंट लिमिटेड, अंतरणकर्ता कंपनी से संबंधित खनन पट्टे" शीर्षक के तहत, खंड 6.एच में इसे निम्नानुसार प्रदान किया गया था:

"एच. समृद्धि सीमेंट लिमिटेड, अजीतपुरा गांवों को 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए खनन पट्टा संख्या 19/06 आवंटित करने के लिए राजस्थान सरकार से आशय-पत्र संख्या पी.2(185) खान/समूह-2/07 दिनांक 10 अक्टूबर 2007. भैसलाना, कुजोता और मेहरामपुर (नवाब), तहसील कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान।"

37. वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जहां मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के बीच व्यवस्था (डीमर्जर) की योजना है। समृद्धि सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, विशेष रूप से मेसर्स के पक्ष में जारी दिनांक 10.10.2007 के आशय-पत्र के हस्तांतरण के लिए प्रदान कर रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज

लिमिटेड, लागू किसी भी कानून का उल्लंघन कर रही थी या सार्वजनिक नीति का विरोध कर रही थी। जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, व्यवस्था की योजना (डीमर्जर) और समामेलन की योजना के तहत, आशय-पत्र हस्तांतरित कंपनी के पक्ष में स्वचालित रूप से स्थानांतरित/निहित हो जाता है और समय-समय पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आशय-पत्र के ऐसे हस्तांतरण/निहित करने के खिलाफ कानून के तहत कोई वैधानिक रोक नहीं थी।

38. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मैसर्स जनरल रेडियो और उपकरण कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम एम.ए. खादर (मृत) विधिक प्रतिनिधि (सुप्रा.) द्वारा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। तथ्यों के आधार पर, उस मामले में यह पाया गया कि उप-किराए पर देने और/या हस्तांतरण और हित के असाइनमेंट के साथ-साथ किराया समझौते पर प्रतिबंध के संबंध में आंध्र प्रदेश भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1960 की वैधानिक योजना का उल्लंघन था।

39. एक अन्य मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम नलवा संस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.) के तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि समामेलन योजना के माध्यम से किसी भी संपत्ति, अधिकार या हित का हस्तांतरण अन्य वैधानिक प्रावधानों के अधीन है जो उक्त संपत्ति, अधिकार या हित को नियंत्रित करते हैं।

जैसा कि यहां ऊपर माना गया है कि एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम व्यवस्था की योजना (डीमर्जर) और समामेलन की योजना के तहत आशय-पत्र के हस्तांतरण/निहित करने के लिए कोई बाधा या विधिक बाधा पैदा नहीं करते हैं, इसे करना होगा यह माना जाएगा कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में जारी आशय-पत्र का वैध हस्तांतरण/निहित किया गया था।

40. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भारी भरोसा जताया है।

तथ्यों के आधार पर, यह एक ऐसा मामला था जहां चौथे प्रत्यर्थी ने आशय-पत्र में

नाम बदलने या उसे अपनी सहायक कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए सरकार को आवेदन दिया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस तरह के स्थानांतरण को तीसरे पक्ष द्वारा संशोधन में चुनौती दी गई थी, पुनरीक्षण याचिका का निपटारा यह कहते हुए कर दिया गया कि राज्य द्वारा आशय-पत्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खनिज रियायत नियमों के तहत केवल खनन पट्टा हस्तांतरित किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं था जहां क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना (डीमर्जर) और समामेलन की योजना से उत्पन्न होने वाले विधिक परिणामों की जांच की गई थी और माना गया था कि आशय-पत्र के हस्तांतरण की अनुमति नहीं थी। उपरोक्त मामला अपने तथ्यों पर अधिक आधारित है। उपरोक्त निर्णय इस प्रस्ताव का अधिकार नहीं है कि 1960 के नियमों में प्रावधानों की अनुपस्थिति में, आशय-पत्र का हस्तांतरण कानून के तहत निहित रूप से निषिद्ध था।

इसलिए, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का पहला तर्क खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

41. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि खनन पट्टा न देने का ऑपरेटिव कारण इस राय पर आधारित था कि आशय-पत्र कानून के तहत हस्तांतरणीय नहीं था। इसके विपरीत, अपीलार्थी-राज्य के आचरण से पता चलता है कि अपीलार्थी विलय और एकीकरण के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद आशय-पत्र जारी करते रहे। मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सूचित किया गया कि आशय-पत्र की वैधता कुछ शर्तों पर 30.09.2011 तक की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी। शर्त (X) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। के सीमेंट व्यवसाय के विघटन के परिणामस्वरूप मैसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के साथ बाद मे मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड मैसर्स के साथ विलय हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता), आवेदक कंपनी का नाम बदलने से पहले कंपनी द्वारा आवश्यक स्टांप और पंजीकरण शुल्क देय होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य को विलय और एकीकरण की कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी थी और सभी संपत्तियां, अधिकार और देनदारियां प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता-कंपनी के नाम पर स्थानांतरित हो गईं और उसे कुछ शर्तों को

पूरा करना आवश्यक था। मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से आवेदक का नाम बदलने से पहले। इसलिए, अपीलार्थी-राज्य के लिए यह कहना गलत है कि 1960 के नियमों के नियम 62 में शामिल नाम परिवर्तन के संबंध में प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। राज्य ने प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से अभ्यावेदन दिया कि वह खनन पट्टा देने के लिए आवेदन स्थानांतरित करने के लिए तैयार था और उसने आशय-पत्र की वैधता भी बढ़ा दी थी और प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता कंपनी को पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। इतना ही नहीं, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को जब्ती खंड के साथ दो साल की अवधि के लिए वैध उत्सुकता धन के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता थी कि यदि उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4 मिलियन टन प्रति वर्ष नहीं की जाती है, उत्सुकता राशि जब्त कर ली जाएगी और पट्टा रद्द कर दिया जाएगा।

हम पूरी तरह से नुकसान में हैं कि राज्य अपने स्वयं के आचरण के खिलाफ न्यायालय में इस तरह का रुख कैसे अपना सकता है, खासकर जब दूसरे पक्ष ने उसके प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई की है क्योंकि यह रिकॉर्ड का मामला है और विवाद का विषय नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अपनी उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की शर्त पूरी की थी और उत्सुकता राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त भी पूरी की थी। वह अवधि जिसके तहत आशय-पत्र को दिनांक 11.12.2014 के पत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था, डिमर्जर और समामेलन की कार्यवाही से पूरी तरह अवगत होने के कारण। वास्तव में, दिनांक 24.06.2016 के पत्र के माध्यम से, सहायक खनन अभियंता, कोटपूतली ने स्वयं निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान को प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में आशय-पत्र के पट्टे/विस्तार के लिए सिफारिश की थी। अधीक्षक खनन अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 27.06.2016 द्वारा सहायक खनन अभियंता, कोटपूतली को प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय, इस आधार पर खनन पट्टा देने

के आवेदन को अस्वीकार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि आशय-पत्र डीमर्जर और समामेलन कार्यवाही पर हस्तांतरणीय नहीं था। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को आशय-पत्र के नियमों और शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक था।

प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता, जैसा कि राज्य के रिकॉर्ड पत्र दिनांक 25.01.2017 पर रखा गया है, जिसके द्वारा पहले खनन पट्टा देने का आशय-पत्र मैसर्स वेदांता इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर जारी किया गया था, को मेसर्स मारवाड़ सीमेंट लिमिटेड के नाम में बदलने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त दस्तावेज़ प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपील में अतिरिक्त हलफनामे के साथ दायर किया गया है। इसके उत्तर में, इस स्थिति को राज्य द्वारा उचित ठहराने की मांग की गई है कि 2016 के नियमों के नियम 62 नाम बदलने की अनुमति देते हैं और डिमर्जर और समामेलन के मामले में, नाम का ऐसा परिवर्तन कानून में स्वीकार्य नहीं है। यह राज्य का मामला नहीं है कि मैसर्स वेदांता इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ही कंपनी का नाम बदलकर मेसर्स मारवाड़ सीमेंट लिमिटेड कर दिया, को 2016 के नियमों के नियम 62 के तहत नाम में बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से आशय-पत्र के हस्तांतरण का मामला है, जबकि वर्तमान मामले में, आशय-पत्र मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया है, कानून के संचालन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता में निहित है, जैसा कि हमारे द्वारा यहां ऊपर विस्तार से बताया गया है।

42. दूसरा आधार, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 की रिट याचिका की अनुमति देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, वह खनन पट्टा देने के लिए आवेदन है जो हस्तांतरणकर्ता कंपनी अर्थात एम/ द्वारा राज्य सरकार को दिया गया था। एस. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (संख्या 10) के तहत एमएमडीआर अधिनियम में शामिल धारा 10 ए के लागू होने पर 11.01.2017 से प्रभावी सूर्यास्त खंड के संचालन के मद्देनजर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना प्राकृतिक अंत प्राप्त कर लिया। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर खनन पट्टा देने के लिए आवेदन स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाता है। यह तर्क दिया गया है कि भले ही पहले आशय-पत्र हस्तांतरणकर्ता कंपनी, अर्थात मैसर्स ग्रासिम

इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समय-समय पर विस्तारित किया गया, लेकिन इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता आशय-पत्र के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहा। इसलिए, आशय-पत्र के नियमों और शर्तों को पूरा करने पर खनन पट्टे को निष्पादित करने का अधिकार मौजूद नहीं था और इसलिए, ऐसे मामले में, यह तर्क दिया जाता है, धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क का वर्तमान मामले में कोई उपयोग नहीं है।

एमएमडीआर अधिनियम को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 की संख्या 10) के माध्यम से बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया था। एक नया खंड, अर्थात् धारा 10क डाला गया था जो मौजूदा रियायत धारकों/आवेदकों के अधिकारों से संबंधित था। चूंकि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलीलें मुख्य रूप से एमएमडीआर अधिनियम की नई सम्मिलित धारा 10क में निहित प्रावधानों के निर्माण पर आधारित हैं, इसलिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क के प्रावधानों को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा:

> **"[10A मौजूदा रियायत-धारकों और आवेदकों के अधिकार**।-(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले प्राप्त सभी आवेदन अयोग्य हो जाएंगे।
>
> (2) उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पात्र रहेंगे -
>
> (ए) इस अधिनियम की धारा 11ए के तहत प्राप्त आवेदन;
>
> (बी) जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले किसी भी खनिज के लिए किसी भी भूमि के संबंध में एक टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया गया है, परमिट धारक या लाइसेंसधारी के पास इसका अधिकार होगा यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि परमिट धारक या

लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, उस भूमि में उस खनिज के संबंध में, खनन पट्टे, या खनन पट्टे, जैसा भी मामला हो, के बाद पूर्वेक्षण लाइसेंस प्राप्त करना;

(i) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ऐसी भूमि में खनिज सामग्री के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, टोही संचालन या पूर्वेक्षण संचालन किया है;

(ii) टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

(iii) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं हो गया है; और

(iv) पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, या ऐसी आगे की अवधि के भीतर, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है। छह महीने से अधिक नहीं, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सके;

[बशर्ते कि लंबित मामलों सहित इस खंड के तहत आने वाले मामलों के लिए, खनन पट्टे या खनन पट्टे के बाद पूर्वेक्षण लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार, जैसा भी मामला हो, खान और खनिज के प्रारंभ की तारीख पर समाप्त हो जाएगा। (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021:

बशर्ते कि टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस के धारक, जिसके अधिकार पहले प्रावधान के तहत समाप्त हो गए हों, को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से टोही या पूर्वेक्षण संचालन के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी;]

(ग) जहां केंद्र सरकार ने खनन पट्टा देने के लिए धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक पिछली मंजूरी की सूचना दी है, या यदि राज्य सरकार द्वारा एक आशय-पत्र (चाहे जो भी नाम हो) जारी किया गया है

खनन पट्टा प्रदान करें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले, खनन पट्टा दो की अवधि के भीतर पिछले अनुमोदन या आशय-पत्र की शर्तों को पूरा करने के अधीन दिया जाएगा। उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से:

बशर्ते कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा इस उपधारा का खंड (बी) केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी को छोड़कर।] [(डी) ऐसे मामलों में जहां खंड (बी) और (ग) के तहत लाइसेंस या पट्टा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, ऐसे क्षेत्र होंगे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीलामी के लिए रखा गया:

बशर्ते कि पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में जहां परमाणु खनिज का ग्रेड थ्रेसहोल्ड मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए खनिज रियायत धारा 11 बी के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाएगी।]"

43. एमएमडीआर अधिनियम की नई सम्मिलित धारा 10क दो भागों में है। पहला भाग उप-धारा (1) में निहित है जो यह प्रावधान करता है कि खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले प्राप्त सभी आवेदन अयोग्य हो जाएंगे। इस प्रकार, कानून के संचालन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि नियत तिथि से पहले प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए गए/स्वचालित रूप से अपात्र हो गए/स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गए।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क का दूसरा भाग, जैसा कि उप-धारा (2) में निहित है, हालांकि, उप-धारा (1) के अपवादों को उजागर करता है। धारा 10क की उप-धारा (2) की श्रेणियाँ (ए), (बी) और (ग), जो उसमें विस्तृत रूप से गिनाई गई हैं, कुछ अनुप्रयोगों को कानून के संचालन द्वारा अयोग्य होने से बचाती हैं। जाहिर तौर पर, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का मामला एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के तहत कवर नहीं किया गया है। हालाँकि, एमएमडीआर

अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (2) का खंड (ग) प्रासंगिक है क्योंकि यह ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां केंद्र सरकार ने अनुदान के लिए धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक पिछली मंजूरी के बारे में सूचित किया है। खनन पट्टे का, या यदि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले, राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा देने के लिए एक आशय-पत्र (चाहे जो भी नाम हो) जारी किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत कवर किया गया मामला वर्तमान में नहीं है। हालाँकि, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 ए की उपधारा (2) के खंड (ग) का दूसरा भाग उन आवेदनों को बचाता है जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) शुरू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2015। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले खनन पट्टा देने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है, उप-धारा का संचालन (1) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क को बाहर रखा गया है और इसमें दिए गए परिणाम लागू नहीं होंगे। इस प्रकार, कानून के क्रियान्वयन से, आवेदन अयोग्य नहीं होगा। यह बिल्कुल अलग बात हो सकती है कि किसी अन्य कारण से आवेदन स्वीकार्य नहीं पाया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (2) का खंड (ग) न केवल उप-धारा (1) के आवेदन को बाहर करता है, बल्कि साथ ही, राज्य पर एक दायित्व भी बनाता है। अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर, पिछली मंजूरी या आशय-पत्र की शर्तों को पूरा करने के अधीन, खनन पट्टा देने के लिए आवेदक पर संबंधित अधिकार।

यह बिल्कुल अलग बात हो सकती है कि खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किसी अन्य कारण से खारिज किया जा सकता है, जैसे आशय-पत्र के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफलता, लेकिन आवेदन तब तक लंबित रहता है जब तक कि इसे खारिज नहीं कर दिया जाता है। सूर्यास्त खण्ड के क्रियान्वयन द्वारा अपात्र नहीं किया गया। यह पक्षों के बीच विवाद में नहीं है कि कानून के संचालन से लंबित आवेदनों को अयोग्य बनाने वाला सनसेट क्लॉज 11.01.2017 से लागू हुआ।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क में निहित प्रावधानों की व्याख्या पर उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाने में, यह न्यायालय **भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड** बनाम **एस.एल. सील, अतिरिक्त सचिव (इस्पात और खान), ओडिशा राज्य और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर और **मेसर्स कुसुम मार्केटिंग लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करता है।

44. पक्षों की संबंधित दलीलों, हलफनामों और जवाबी हलफनामों के मद्देनजर जो विवाद में नहीं है वह यह है कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 05.06.2007 को खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया था और 10.10.2007 को इसके पक्ष में पहला आशय-पत्र जारी किया गया था। रिट याचिका में दलीलों से यह भी पता चलता है कि आशय-पत्र को समय-समय पर बढ़ाया गया था। इसलिए, वर्तमान मामला एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत आता है, न कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) के अंतर्गत। जैसा कि हम थोड़ी देर बाद इस मामले के दूसरे पहलू से निपटेंगे कि खनन पट्टा न देने का मुख्य कारण यह था कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में कुछ चरागाह (चारागाह) भूमि शामिल थी और किसी अन्य कारण से नहीं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि दिए गए हैं। अब प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत का विरोध करते हुए, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि खनन पट्टा देने के लिए आवेदन को सूर्यास्त खंड के मद्देनजर कानून के संचालन द्वारा अयोग्य बना दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसके लिए उत्तरदायी है। अस्वीकृत किया जाए और तदनुसार, अस्वीकृत किया गया।

45. यह रिकॉर्ड पर स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 06.05.2006 की अधिसूचना के तहत, ग्राम मोहनपुरा, जोधपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर के पास 318.78 हेक्टेयर विज्ञापन क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा पट्टा देने के लिए चूना पत्थर का खनन खुला और रिक्त के रूप में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 59 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर जारी की गई थी। 1960 के नियम के नियम 59 में अधिसूचित किए जाने वाले पुनर्ग्राही के लिए क्षेत्र की

उपलब्धता का प्रावधान है। 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में ऐसी घोषणा करने के बाद, 318.78 हेक्टेयर के पूरे क्षेत्र के संबंध में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के खनन पट्टे की मंजूरी के लिए दिनांक 26.05.2007 की अधिसूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि राज्य ने स्वयं ही पूरे क्षेत्र को खनन पट्टा देने के लिए खुला घोषित कर दिया था और आवेदन आमंत्रित करने के बाद, सभी इच्छुक आवेदकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे खनन पट्टा देने के लिए आवेदन करें। आशय-पत्र 10.10.2007 को मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया था। आशय-पत्र में निम्नलिखित चार शर्तें शामिल हैं:

(i) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना;

(ii) भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन पट्टा योजना के साथ-साथ खनन समापन योजना का उत्पादन;

(iii) 1960 के नियम के नियम 22(3)(एच) के अनुसार खातेदारी भूमि के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना; और

(iv) वन विभाग से एनओसी जमा करना।

46. यह विवाद नहीं है कि जब आशय-पत्र बढ़ाया गया था, तब वन विभाग द्वारा 11.08.2008 को एनओसी प्रदान की गई थी; खनन योजना का अनुमोदन 22.12.2008 को हुआ था; पर्यावरण मंजूरी 06.05.2010 को दी गई थी। इसके बाद, मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड द्वारा दिनांक 07.07.2010 का अनुपालन पत्र प्रस्तुत किया गया। समृद्धि सीमेंट लिमिटेड को इस आशय का आदेश दिया गया है कि एलओआई दिनांक 10.10.2007 के अनुसार सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं। 07.10.2010 को, सहायक खनन अभियंता ने निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग को सिफारिशें भेजीं, जिसमें कहा गया कि कंपनी ने एलओआई की सभी शर्तों का अनुपालन किया है और इसलिए, खनन पट्टा उसके पक्ष में दिया जा सकता है। इसके बाद, एलओआई को निम्नलिखित तीन अतिरिक्त शर्तों के साथ 03.12.2010 को आगे बढ़ाया गया:

(i) संयंत्र की क्षमता को 3 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4 मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना;

(ii) उत्सुकता राशि रु. की दर से जमा की जाएगी। सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ प्रति मीट्रिक टन; और

(iii) कंपनी मेसर्स ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड के सीमेंट कारोबार के अलग होने पर नाम बदलने के लिए स्टांप और पंजीकरण शुल्क जमा करेगी। मेसर्स समृद्धि सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1- रिट याचिकाकर्ता)के समामेलन के संबंध में भी।

यद्यपि स्टांप शुल्क की वसूली के संबंध में कुछ विवाद था और प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए थे और इसके पक्ष में अंतरिम आदेश भी पारित किए गए थे, बाद में सभी अनुपालनों का एक पत्र 06.06 को प्रस्तुत किया गया था। 2014 में कहा गया कि एलओआई विस्तार दिनांक 03.12.2010 की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया था। हालाँकि, चूंकि शर्त (X) के संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया था, इसलिए खनन पट्टा देने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, सरकार के समक्ष 06.09.2014 को एक हलफनामे के साथ एक पत्र प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि स्टांप शुल्क के भुगतान के संबंध में मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश का लाभ ले रहा है। कंपनी न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगी और उसने लंबित मामलों में न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अनुसार स्टांप शुल्क का भुगतान करने का भी वचन दिया है। 11.12.2014 को, सरकार ने आशय-पत्र की अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया, इस अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने एमनेस्टी योजना का लाभ लेते हुए, डिमर्जर और समामेलन के संबंध में स्टांप शुल्क जमा किया और इस प्रकार, सभी तदनुसार रिट याचिकाएँ वापस ले ली गईं।

47. 17.01.2015 को, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया कि उसने सभी अनुपालन किए हैं और कलेक्टर (स्टांप), जयपुर के प्रमाण पत्र भी संलग्न किए हैं, जिसमें डिमर्जर और समामेलन के संबंध में पूर्ण स्टांप शुल्क का भुगतान दिखाया गया है। 16.05.2016 को, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अनुपालन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि खनन पट्टा क्षेत्र में 1.38 हेक्टेयर चारागाह भूमि शामिल थी जो पूरे खनन पट्टा क्षेत्र में फैली हुई थी और इसलिए, खनन

पट्टा क्षेत्र से भूमि चारागाह को कम करना संभव नहीं था। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा हलफनामे पर एक वचन दिया गया था कि वह राज्य सरकार से अनुमति मिलने तक उपरोक्त चारागाह भूमि में खनन गतिविधियाँ शुरू नहीं करेगा। उक्त शपथ-पत्र रिट याचिका के साथ अनुबंध-21 के रूप में संलग्न किया गया है। हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चारागाह भूमि के क्षेत्र में कोई भी खनन कार्य नहीं किया जाएगा। यह नोट करना प्रासंगिक है कि दिनांक 24.06.2016 के पत्र के माध्यम से, सहायक खनन अभियंता ने प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने के लिए निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग को सिफारिश की थी। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने पत्र दिनांक 27.06.2016 के माध्यम से कुछ विवरण मांगे, जिस पर सहायक खनन अभियंता ने 19.07.2016 को उत्तर दिया कि प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र में चारागाह भूमि का एक हिस्सा मौजूद है। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चारागाह भूमि में कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जाएगी।

48. एमएमडीआर अधिनियम या 1960 के नियमों के प्रावधान कहीं भी चारागाह भूमि से संबंधित नहीं हैं। 1960 के नियमों के नियम 27 में शामिल शर्तों में चरागाह भूमि के संबंध में कोई शर्त शामिल नहीं है, हालांकि इसके खंड (एच) के तहत, खनन क्षेत्र से कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को अलग कर दिया गया है जहां कानून पट्टेदार को ले जाने या अनुमति देने से रोकता है। रेलवे लाइन जैसे किसी भी निषिद्ध क्षेत्र से पचास मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई भी खनन कार्य, संबंधित रेलवे प्रशासन की लिखित अनुमति के अलावा या किसी रोपवे या किसी रोपवे ट्रेस्टल के नीचे या उसके नीचे किया जाना चाहिए। स्टेशन, रोपवे के मालिक प्राधिकारी की लिखित अनुमति के तहत और उसके अनुसार या किसी जलाशय, नहर या अन्य सार्वजनिक कार्यों, या इमारतों से, राज्य सरकार की पिछली अनुमति के तहत और उसके अनुसार को छोड़कर।

49. 1960 के नियमों के नियम 22 के संदर्भ में खनन पट्टा देने के लिए आवेदन के वैधानिक प्रारूप (फॉर्म- I) में भी चरागाह भूमि (चारागाह भूमि) के संबंध में कोई शर्त नहीं है।

14.09.1981 को, खनिज चूना पत्थर और संगमरमर के लिए 415.03 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक खनिज चूना पत्थर और संगमरमर का खनन पट्टा किसी रामेश्वर बजाज के पक्ष में दिया गया था और बाद में इसे दिनांक 24.02.1986 के हस्तांतरण विलेख के माध्यम से नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था। दिनांक 24.02.1986 को स्थानांतरण विलेख की प्रति भी अनुलग्नक-आरए-2 के रूप में प्रति शपथपत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई है। यह भी कहा गया है कि नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने बाद में वर्ष 2005 में लगभग 318.78 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार को सौंप दी थी, जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसके लिए अधिसूचना दिनांक 06.05.2006 जारी की गई थी, जिसके बाद अधिसूचना दिनांकित की गई थी। 26.05.2007, ऊपर संदर्भित, 318.78 हेक्टेयर क्षेत्र में चूना पत्थर के खनन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इन तथ्यों का खुलासा करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दृढ़ता से दावा किया गया है कि 1981 के बाद से एक से अधिक पट्टाधारकों द्वारा किसी भी चारागाह भूमि को छोड़कर पूरे क्षेत्र की पूरी तरह से खुदाई और पूरी तरह से दोहन किया गया था और इसलिए, शायद ही कोई चारागाह भूमि उपलब्ध हो। इस निवेदन के समर्थन में, वर्ष 2016 और 2017 के गूगल मानचित्र भी उसी प्रति शपथपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, साइट पर बताया गया क्षेत्र अब चारागाह भूमि नहीं है और किसी भी मामले में इसका उपयोग चारागाह उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.05.2010 के पत्र (रिट याचिका के अनुलग्नक -8) के माध्यम से दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में कहा गया था कि परियोजना का कुल खनन पट्टा क्षेत्र 318.78 हेक्टेयर है जिसमें से 311.4 हेक्टेयर कृषि भूमि है, 1.5 हेक्टेयर बंजर भूमि है और 5.88 हेक्टेयर अन्य (चारनोट भूमि) है। इसमें यह भी कहा गया है कि परियोजना में कोई वन भूमि और कोई चरागाह भूमि शामिल नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र केवल 73.62 हेक्टेयर है और 4.7 हेक्टेयर क्षेत्र ऊपरी मिट्टी के भंडारण के लिए, 2.44 हेक्टेयर क्षेत्र अपशिष्ट डंप के लिए, 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र बुनियादी ढांचे के लिए, 50 हेक्टेयर क्षेत्र हरित पट्टी के लिए और 184.82 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य उद्देश्यों के लिए रखा गया है। उसमें यह भी

कहा गया है कि सोता नदी (2.25 किमी उत्तर पश्चिम) और साबी नदी (5.25 किमी दक्षिण) खदान के बफर जोन में बह रही हैं और अध्ययन क्षेत्र का जल निकासी पैटर्न दोनों मौसमी नदियों द्वारा नियंत्रित होता है। हालाँकि, यह विवादित तथ्य है क्योंकि सहायक खनन अभियंता के पत्र दिनांक 07.10.2010 में निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग को संबोधित करते हुए कहा गया है कि खसरा सत्यापन सर्वेयर के माध्यम से और स्थल निरीक्षण के अनुसार कराया गया था। सर्वेक्षणकर्ता के अनुसार, इस क्षेत्र में चारागाह भूमि भी शामिल है। केवीजीएसएस द्वारा ग्रिड स्टेशन की स्थापना के लिए 0.47 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के संबंध में शपथपत्र में तथ्य का बयान विवाद में नहीं है।

50. खनन योजना दर्शाती है कि खनन कार्य केवल खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के एक हिस्से पर ही किया जाना है, न कि पूरे क्षेत्र पर। 1960 के नियमों के नियम 22 और 27(1)(एच) में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भले ही भूमि खनन पट्टे में शामिल है या कोई निषिद्ध क्षेत्र है जहां खनन कार्य नहीं किया जा सकता है, तब भी ऐसे क्षेत्र को शामिल किया गया है। खनन पट्टा या खनन योजना, जिसमें पट्टा क्षेत्र के भीतर कई क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जहां किसी भी खनन कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, 1960 के नियमों के नियम 27(2), खंड (डी) में प्रावधान है कि खनन पट्टे में किसी भी प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध किसी भी क्षेत्र में सतह संचालन पर प्रतिबंध के रूप में एक शर्त शामिल हो सकती है। इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम की योजना और 1960 के नियमों के तहत, किसी क्षेत्र पर खनन पट्टा देते समय, पट्टे में खनन पट्टा क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर खनन कार्यों के संबंध में विभिन्न शर्तें, प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि एक बार 318.78 हेक्टेयर का क्षेत्र अधिसूचित हो गया और खनन पट्टा देने के लिए अधिसूचना अधिसूचित हो गई, तो प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पास खनन पट्टा देने के लिए अपना आवेदन जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्षेत्र का सम्मान करें और वैधानिक योजना के अनुसार खनन योजना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाएं। खनन के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति आवेदक के पास नहीं है, बल्कि यह शक्ति सक्षम प्राधिकारी के पास निहित है, जैसा कि 1960 के नियमों के नियम 26 में निहित प्रावधानों से स्पष्ट है। इसके अलावा, नियमों के नियम 22 ए 1960 में स्पष्ट

प्रावधान है कि खनन कार्य खनन योजना के अनुसार होना चाहिए। खनन योजना में कई क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि दिनांक 06.05.2010 के पर्यावरण मंजूरी पत्र (रिट याचिका के अनुलग्नक -8) से स्पष्ट होगा। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जब राज्य ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में यह मामला सामने रखा कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता की खनन योजना 1.38 हेक्टेयर की चारागाह भूमि को खनन कार्यों से बाहर नहीं करती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा है कि चारागाह भूमि के क्षेत्र को खनन योजना में शामिल नहीं किया गया है और इस तर्क के समर्थन में खनन योजना का अनुमोदित मानचित्र अनुबंध-आरए-7 के रूप में दाखिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में खनन पट्टा देने के लिए आवेदन जमा करते समय, मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 26.05.2006 को एक शपथ-पत्र दायर किया था। उक्त शपथपत्र के कंडिका 6 में कहा गया है कि आवेदित क्षेत्र में कोई चारागाह भूमि नहीं है। आगे कहा गया कि यदि लागू क्षेत्र में कोई चारागाह भूमि है, तो आवेदक राज्य सरकार से एनओसी जमा करेगा। परिपत्र दिनांक 21.07.2008 का हवाला देते हुए, यह राज्य का मामला रहा है कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा कोई एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसने 1.38 हेक्टेयर विज्ञापन-माप वाली चरागाह भूमि को उसके द्वारा लागू खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर नहीं किया था। हमने परिपत्र दिनांक 21.07.2008 का अवलोकन किया है जो दर्शाता है कि यदि लागू क्षेत्र में कोई चारागाह भूमि मौजूद है तो जिला कलेक्टर/सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह दिनांक 29.12.1994 के पूर्व निर्देशों की पुनरावृत्ति थी।

51. नियमावली 1955 के नियम 7 में निहित प्रावधान चारागाह भूमि के आवंटन या अलग करने का प्रावधान करते हैं। इसमें प्रावधान है कि कलेक्टर, पंचायत के परामर्श से, राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा (28) में परिभाषित किसी भी चारागाह भूमि या धारा 92 के तहत अलग की गई किसी भी चारागाह भूमि के वर्गीकरण को बदल सकता है। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956, कृषि या किसी गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटन के लिए खाली कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में। चूंकि यह प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का रुख है और 1960 के नियमों की योजना के तहत भी स्वीकार्य है कि खनन संचालन के उद्देश्य के लिए कोई चारागाह

क्षेत्र शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में, खनन पट्टा प्रदान किया जा सकता है समग्र रूप से चरागाह क्षेत्रों में खनन कार्यों पर प्रतिबंध सहित उचित शर्तों को लागू करके विचार किया जाता है, भले ही यह बड़े खनन पट्टा क्षेत्र में शामिल हो। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 16.05.2016 के माध्यम से खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर फैली 1.38 हेक्टेयर चरगाह भूमि को बाहर करने में असमर्थता व्यक्त की और इसके साथ एक वचन-पत्र संलग्न किया कि वह अनुमति मिलने तक चारागाह भूमि में खनन गतिविधियां शुरू नहीं करेगा।

52. इस प्रकार, जहां पर्यावरण मंजूरी स्वयं एक सीमित क्षेत्र पर खनन कार्यों की अनुमति देती है और प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने भी हलफनामे पर चारागाह भूमि पर कोई खनन कार्य नहीं करने का वचन दिया था, जो कि कुल पट्टा क्षेत्र में से केवल 1.38 हेक्टेयर थी। इस आधार पर अपीलार्थीगण की ओर से निष्क्रियता कि चरागाह भूमि को खनन क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया है, मनमाना और अनुचित प्रतीत होता है। पूरे क्षेत्र को अधिसूचित किया गया और खनन पट्टा देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये। अतः पट्टा क्षेत्र में चारागाह भूमि शामिल होने तथा एनओसी जमा नहीं करने के आधार पर बिना कोई आदेश पारित किए खनन पट्टा देने के आवेदन को लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है, खासकर जब चारागाह भूमि नहीं थी। खनन कार्यों के प्रयोजनों के लिए शामिल किया गया। प्राधिकरण से एनओसी की आवश्यकता तभी आवश्यक होगी जब चारागाह भूमि को खनन कार्यों के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। यदि पूरे खनन पट्टा क्षेत्र में चरागाह भूमि को शामिल करने पर कोई रोक नहीं है, जिसमें कई अन्य हिस्से भी शामिल हैं, जहां खनन योजना के तहत कोई खनन कार्य नहीं किया जाता है, तो पट्टा एनओसी न देने को खनन के निष्पादन से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

53. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने आशय-पत्र की सभी शर्तों और आशय-पत्र का विस्तार करते समय बाद में शामिल कई अन्य शर्तों का अनुपालन किया था, लेकिन अपीलार्थीगण ने इस आधार पर उदासीन रवैया अपनाया कि कानून अनुदान देने पर रोक लगाता है। ऐसे क्षेत्र में खनन करना, जिसमें चरागाह भूमि शामिल है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने

एनओसी के अनुदान के बिना चरागाह भूमि पर कोई भी खनन कार्य नहीं करने के लिए शपथपत्र के साथ वचन दिया था। अंततः 11.01.2017 से प्रभावी सूर्यास्त खंड के पारित होने के बाद, राज्य कानून की एक गलत धारणा पर आगे नहीं बढ़ा कि 11.01.2017 से प्रभावी सूर्यास्त खंड के पारित होने के बाद, खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। इस पहलू पर हमारे द्वारा पहले ही ऊपर विचार किया जा चुका है और इसे प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में और अपीलार्थी-राज्य के खिलाफ माना गया है।

54. चरागाह भूमि के एक क्षेत्र पर खनन पट्टा देने के संबंध में आपत्ति अनिवार्य रूप से **जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। राज्य ने 25.04.2011, 13.12.2011 और 17.09.2013 को विभिन्न परिपत्र जारी किए। 21.07.2008 को जारी परिपत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये परिपत्र, **जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रा.),** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर जारी किए गए। निजी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चारागाह भूमि (चारागाह भूमि) का प्रतिबंधित उपयोग। परिपत्र दिनांक 25.04.2011 में, यह कहा गया था कि निजी और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चारागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा और जहां सार्वजनिक उद्देश्यों या सार्वजनिक हित के लिए चारागाह भूमि का आवंटन आवश्यक हो जाता है, जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य की मंजूरी प्राप्त की जाएगी। 13.12.2011 के बाद के परिपत्र में, यह स्पष्ट किया गया था कि 25.04.2011 से पहले प्रस्तुत खनन पट्टा अनुदान के लिए आवेदनों के संबंध में, राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद ही खनन पट्टा दिया जाएगा और यदि एनओसी जारी नहीं की गई है, तो क्षेत्र चारागाह भूमि को शामिल नहीं किया जाएगा।

55. इसके बाद, 17.04.2013 को एक और परिपत्र जारी किया गया और उसके बाद पहले के परिपत्रों को जारी रखते हुए दिनांक 17.09.2013 को परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र दिनांक 17.09.2013 में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि विधि विभाग की राय के अनुसार, चारागाह भूमि के स्थान पर दूसरी भूमि घोषित करके खनन कार्यों की अनुमति देना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध है। इसने यह भी स्पष्ट

किया कि भविष्य में, खनन गतिविधियों के अनुदान के लिए चारागाह भूमि के स्थान पर भूमि के किसी अन्य टुकड़े को चारागाह भूमि घोषित करने की ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

56. जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रा.)के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय।, निम्नानुसार अभिनमिर्धारित किया:

> "**23.** इस मामले से अलग होने से पहले हम देश की सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/पोरम्बोके/शामलात भूमि पर अवैध/अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए योजनाएं तैयार करें और इन्हें ग्रामवासियों के सामान्य उपयोग हेतु ग्राम पंचायत को वापस लौटाया जाए। इस प्रयोजन के लिए भारत में सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मदद लेते हुए आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया गया है। उक्त योजना में ऐसे अवैध कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस और एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीघ्र बेदखल करने का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह के अवैध कब्जे की लंबी अवधि या उस पर निर्माण करने में भारी खर्च या राजनीतिक संबंधों को इस अवैध कार्य को माफ करने या अवैध कब्जे को नियमित करने के औचित्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। नियमितीकरण की अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए। जहां भूमिहीन मजदूरों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सरकारी अधिसूचना के तहत पट्टा दिया गया है, या जहां भूमि पर पहले से ही एक स्कूल, औषधालय या अन्य सार्वजनिक उपयोगिता है।

57. मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पहला शपथपत्र आवेदन जमा करते समय का आशय यह था कि यदि खनन पट्टा क्षेत्र में चारागाह भूमि मौजूद है, तो सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब केवल यह होगा कि यदि आवेदक खनन कार्य करने और चारागाह भूमि का दोहन करने का इरादा रखता है, तो एनओसी की आवश्यकता होगी। हालाँकि, चूंकि हस्तांतरित कंपनी ने 16.05.2016 को अपने हलफनामे

द्वारा समर्थित स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि वह संबंधित प्राधिकारी से एनओसी/अनुमति प्राप्त होने तक चरागाह भूमि वाले क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू नहीं करेगी, अनुदान देने में कोई विधिक बाधा नहीं थी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि आदेश दिनांक 03.04.2018 मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में पारित हुआ और आदेश दिनांक 12.04.2019 मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड (अपीलीय कार्यवाही में दायर दोनों आदेश) के पक्ष में पारित हुआ, में स्पष्ट शर्त लगाई गई है कि पट्टे वाले क्षेत्र में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के संबंध में भी समान शर्त को शामिल करके खनन पट्टा देने में कोई विधिक बाधा नहीं थी।

58. इस पहलू पर कि क्या 318.78 हेक्टेयर की पूरी भूमि पर खनन पट्टा देने के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय चारागाह भूमि मौजूद थी, जैसा कि हमने यहां ऊपर देखा है, एक विवाद मौजूद है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने एक मामला सामने रखा है कि भूमि 1981 से विभिन्न पट्टाधारकों के साथ उत्खनन और दोहन के अधीन थी, जब तक कि वर्ष 2005 में इसे समर्पण नहीं कर दिया गया, कुछ गूगल मानचित्रों द्वारा समर्थित और यह तथ्य पर्यावरण मंजूरी में भी बताया गया है कि पत्र दिनांक 06.05.2010 के अनुसार, राज्य का यह मत है कि 1.38 हेक्टेयर की सीमा तक चारागाह भूमि मौजूद है, जैसा कि सहायक खनन अभियंता, कोटपूतली के पत्र दिनांक 07.10.2010 से परिलक्षित होता है। इस पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि भी सम्मिलित है। हालांकि, यह असंभव नहीं है, लेकिन यह बेहद असंभव है कि 1981 से 2005 तक खनन कार्यों को अंजाम देने और खनन पट्टा क्षेत्र का दोहन करते समय, पहले के पट्टाधारकों ने 1.38 हेक्टेयर क्षेत्र को चारागाह भूमि के रूप में छोड़ दिया होगा। यह तब और भी अधिक है जब राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि 1981 से पिछले पट्टाधारकों को पट्टे देते समय चारागाह भूमि पर खनन कार्य न करने की शर्त लगाई गई थी। दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कम से कम 2005 तक ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और उसके बाद ही चारागाह भूमि पर खनन कार्यों की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने गूगल मैप भी प्रस्तुत किया है, जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा

सकता है। सबसे बढ़कर, पर्यावरण मंजूरी देने वाले दिनांक 06.05.2010 के पत्र में भी यही तथ्य दर्ज है कि परियोजना में कोई चरागाह भूमि शामिल नहीं है। इसलिए राजस्व व खनन विभाग के अधिकारियों की टीम का नये सिरे से सर्वे जरूरी है।

59. मामले का एक और पहलू यह है कि इस बात पर विवाद मौजूद है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने अपनी खनन योजना में 1.38 हेक्टेयर की चारागाह भूमि को शामिल किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने शपथपत्र दिया है कि चारागाह भूमि खनन योजना में शामिल नहीं है। हालाँकि, राज्य ने यह रुख अपनाया है कि चारागाह भूमि अनुमोदित खनन योजना में शामिल है। पैरा नं. संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के उत्तर में प्रत्यर्थी 6 में, खनन योजना (अनुलग्नक आरए -7) का जिक्र करते हुए, यह जोरदार तर्क दिया गया है कि चारागाह के क्षेत्र को खनन योजना में शामिल नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि चारागाह क्षेत्र का पिछले पट्टाधारियों द्वारा पहले ही दोहन किया जा चुका है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उक्त क्षेत्र अब विच्छेदित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा चारागाह भूमि के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत खनन योजना नहीं मिली। हालाँकि, राज्य ने अपीलीय कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता की खनन योजना प्रस्तुत की है। उस खनन योजना में खसरा संख्या 318 को चारागाह भूमि बताया गया है। पंचायत समिति भैंसलाना के पटवारी द्वारा तैयार पत्र दिनांक 19.07.2016 (अनुलग्नक-25) के साथ संलग्न सर्वेक्षण क्षेत्र रिपोर्ट दिनांक 06.07.2016 के अनुसार, खसरा संख्या 318 की 1.01 हेक्टेयर, खसरा संख्या 316 की 0.05 हेक्टेयर और खसरा की 0.32 हेक्टेयर भूमि है। क्रमांक 192, कुल माप 1.38 हेक्टेयर चारागाह भूमि है। 318 को राज्य द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता की खनन योजना में दिखाया गया है, अन्य सभी खसरा संख्या, खनन योजना के भीतर इंगित नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य द्वारा दिए गए बयान आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 318 में केवल 1.01 हेक्टेयर भूमि ही खनन योजना में शामिल है। खनन योजना से स्पष्ट है कि यह सन्निहित क्षेत्र नहीं है या यूं कहें कि चारों तरफ फैला हुआ है, बल्कि खनन योजना में शामिल क्षेत्र के कोने पर ही है।

60. 1955 के नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में किए गए संशोधन द्वारा 1955

के नियमों को दिनांक 31.05.2017 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था। मौजूदा पहले प्रावधान के बाद और उप-नियम के मौजूदा दूसरे प्रावधान से पहले (1), एक नया प्रावधान नीचे दिया गया है:

> "बशर्ते कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खनन प्रयोजनों के लिए चारागाह भूमि का वर्गीकरण खाली कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में नहीं बदला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब आवेदक ने उसी गांव या उसी पंचायत के निकटवर्ती गांव में राज्य सरकार के पक्ष में खातेदारी भूमि का बराबर क्षेत्रफल समर्पित कर दिया हो और ऐसी समर्पित भूमि को चारागाह के रूप में विकसित करने के लिए विकास शुल्क जमा कर दिया हो। वर्ष 2017-2018 के लिए विकास शुल्क पचास हजार रुपये प्रति बीघा या उसका हिस्सा होगा और अगले वर्ष के लिए इसमें हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। जमा किए गए विकास शुल्क का उपयोग जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से ग्राम पंचायत द्वारा गांव के मवेशियों के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। खाली कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में वर्गीकृत भूमि हमेशा बनी रहेगी और सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के रूप में मानी जाएगी।"

61. इस प्रकार, किसी भी मामले में, भले ही चारागाह भूमि मौजूद हो, 1955 के नियमों के नियम 7(1) में जोड़े गए नए प्रावधान ने चारागाह भूमि के वर्गीकरण को खनन उद्देश्यों के लिए खाली भूमि के रूप में बदलने की अनुमति दी। हालाँकि, शर्त यह है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, प्रावधान में आगे कहा गया है कि ऐसी अनुमति राज्य सरकार द्वारा केवल तभी दी जा सकती है, जब आवेदक ने उसी गांव या उसी पंचायत के नजदीकी गांव में राज्य सरकार के पक्ष में खातेदारी भूमि के बराबर क्षेत्र को समर्पण कर दिया हो और विकास शुल्क जमा कर दिया हो। ऐसी समर्पित भूमि को चारागाह के रूप में विकसित करना। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने 13.06.2017 को जिला कलेक्टर, जिला जयपुर को प्रस्तुत एक आवेदन रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें गांव भैंसलाना में 1.38 हेक्टेयर भूमि के

बराबर क्षेत्र को समर्पण करते हुए नए के संदर्भ में चारागाह भूमि के वर्गीकरण में बदलाव की मांग की गई है। नियम 1955 के नियम 7(1) में परन्तुक जोड़ा गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर का पत्र दिनांक 04.09.2017 भी संलग्न किया गया है, जिसके द्वारा तहसीलदार, कोटपूतली को जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 1955 के नियमों के नियम 7(1) में नए परंतुक को जोड़कर कानून में बदलाव के बाद, इसने भूमि के बराबर क्षेत्र को समर्पण कर दिया है, वर्गीकरण में बदलाव की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन जिला कलक्टर ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस पहलू पर, राज्य ने कोई रुख सामने नहीं रखा है, न ही अपने किसी हलफनामे में प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 13.06.2017 के भाग्य का खुलासा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून की गलत धारणा पर कि सूर्यास्त खंड के पारित होने के बाद, खनन पट्टा देने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के आवेदन का स्वाभाविक अंत हो गया, जिला कलेक्टर और राज्य ने संभवतः उपरोक्त आवेदन पर आगे नहीं बढ़ाया है।

62. चूंकि हमने माना है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में आशय-पत्र जारी होने के कारण, इसका आवेदन एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (1) की शरारत के दायरे से बाहर है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ग) में निहित प्रावधान, अन्य सभी विवादों को अलग रखते हुए, नियम 7(1) में नए जोड़े गए परंतुक के संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता का आवेदन 1955 के नियमों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए, जो भी नहीं किया गया है।

63. पैरा नं. 6 में शपथपत्र के प्रत्यर्थी संख्या 1- रिट याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे पहले, वर्ष 2017-18 के लिए जारी की गई निविदा में, ग्राम टाडास-बैरास, तहसील नागौर के पास, चूना पत्थर ब्लॉक 4GII-ए के लिए खनन पट्टा देने के लिए निविदा दी गई थी। प्रस्तावित भूमि में चारागाह भूमि भी शामिल है और निविदा दस्तावेज में चारागाह भूमि भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि चारागाह भूमि में खनन सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.2017 के अनुसार किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामे के उत्तर के साथ निविदा दस्तावेज के प्रासंगिक पृष्ठ भी

संलग्न किए गए हैं। राज्य द्वारा अपने बाद के हलफनामों में इस तथ्य के बयान से किसी भी इनकार के अभाव में, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां पट्टे के तहत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र में चरागाह भूमि शामिल है, नियम 7 में नए जोड़े गए परंतुक के अनुपालन के अधीन है। 1955 की नियमावली के अनुसार खनन अनुमन्य होगा। हलफनामे के उत्तर के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार के दिनांक 05.12.2016 के पत्र को रिकॉर्ड पर रखा है, जो सचिव, खान और पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार को संबोधित है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा आशय-पत्र की सभी शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने पहले ही एक वचन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, वह कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा। उक्त पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

64. इस प्रकार, हम पाते हैं कि यद्यपि भूमि का एक हिस्सा खनन योजना में शामिल किया गया था, अर्थात खसरा संख्या 318 में शामिल 1.01 हेक्टेयर भूमि चारागाह भूमि के रूप में थी, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने हलफनामे पर स्पष्ट वचन दिया था कि यह उक्त भूमि पर कोई भी खनन कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा, हमने यह भी माना है कि ऐसे मामले में एनओसी की आवश्यकता होगी जहां चारागाह भूमि को खनन गतिविधियों के लिए शामिल करने का प्रस्ताव है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने में कोई बाधा नहीं थी क्योंकि यह मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में दिया गया था और मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड चारागाह भूमि को खनन कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था।

इस स्तर पर यह उल्लेख करना भी उचित है कि **मैसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा.)** के मामले में भी इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा इसी तरह की राहत दी गई है। राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील में भी इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 04.03.2022 को डी.बी. में आदेश पारित किया गया है। सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 998/2021 उस मामले में याचिकाकर्ता के वचन के संबंध में

कि वह चारागाह भूमि में कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा जो खनन क्षेत्र में आती है।

65. उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के आधार पर खनन गतिविधियों के लिए चारागाह के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्देश रिट याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को चारागाह भूमि के रूप में पहचानी गई भूमि पर खनन कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस आशय की शर्त खनन पट्टे के अनुदान में शामिल की जाएगी, जैसा कि मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड। के पक्ष में दिए गए पट्टों में जोड़ा गया है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय 1955 के नियमों के नियम 7 में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत वर्गीकरण में बदलाव के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 13.06.2017 को तय करने में राज्य सरकार/जिला कलेक्टर के रास्ते में नहीं आएगा। गुणागुण के आधार पर और कानून के अनुसार।

66. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

67. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(शुभा मेहता), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

MANOJ NARWANI/(C)

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।